अध्याय–चार

अपराध और शास्तियां

15 पोस्ततृण के सम्बन्ध में उल्लंघन के लिए दण्ड–जो कोई इस अधिनियम के किसी उपबन्ध या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या निकाले गए किसी आदेश या दी गई किसी अनुज्ञप्ति की शर्त के उल्लंघन में पोस्ततृण का उत्पादन, कब्जा, परिवहन, अन्तरराज्यिक आयात, अन्तरराज्यिक निर्यात, विक्रय, क्रय, उपयोग करेगा या उसका भांडागारण करने का लोप करेगा या भांडागारित पोस्ततृण को हटाएगा उसकी बाबत काई कार्य करेगा, वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु बीस वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी, जो एक लाख रुप्ए से कम का नहीं होगा किन्तु दो लाख रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगाः

परन्तु न्यायालय, ऐसे कारणों से, जो निर्णय में लेखबद्ध किए जाएंगे, दो लाख रुपए से अधिक का जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा।

16. कोका के पौधे और कोका की पत्तियों के सम्बंध में उल्लंघन के लिए दण्ड–जो कोई, इस अधिनियम के किसी उपबन्ध या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या निकाले गए किसी आदेश या दी गई अनुज्ञप्ति की शर्त के उल्लंघन में किसी कोका के पौधे की खेती करेगा या कोका के पौधे के किसी भाग का संग्रह या कोका की पत्तियों का उत्पादन, कब्जा, विक्रय, क्रय, परिहवन, अन्तरराज्यिक आयात, अन्तरराज्यिक निर्यात या उपयोग करेगा, वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु बीस वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी, जो एक लाख रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु दो लाख रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगाः

परन्तु न्यायालय, ऐसे कारणों से, जो निर्णय में लेखबद्ध किए जाएंगे, दो लाख रुप्ए से अधिक का जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा।

17. निर्मित अफीम के सम्बंध में उल्लंघन के लिए दंड– जो कोई, इस अधिनियम के किसी उपबन्ध या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या निकाले गए किसी आदेष या दी गई अनुज्ञप्ति की शर्त के उल्लंघन में निर्मित अफीम का विनिर्माण, कब्जा,

विक्रय, क्रय, परिवहन, अन्तरराज्यिक आयात, अन्तरराज्यिक निर्यात या उपयोग करेगा, वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु बीस वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी, जो एक लाख रुपये से कम का नहीं होगा। किन्तु दो लाख रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा। परन्तु न्यायालय, ऐसे कारणों से, जो निर्णय में लेखबद्ध किए जाएंगे, दो लाख रुपए से अधिक का जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा।

18. अफीम, पोस्त और अफीम के सम्बंध में उल्लंघन के लिए दंड–जो कोई, इस अधिनियम के किसी उपबंध या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या निकाले गए किसी आदेश या दी गई अनुज्ञप्ति की शर्त के उल्लंघन में अफीम पोस्त की खेती या अफीम का उत्पादन, विनिर्माण, कब्जा, विक्रय, क्रय, परिवहन, अंतरराज्यिक आयात, अन्तराराज्यिक निर्यात या उपयोग करेगा, वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु बीस वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी, जो एक लाख रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु दो लाख रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

परन्तु न्यायालय, ऐसे कारणों से, जो निर्णय में लेखबद्ध किए जाएंगे, दो लाख रुपये से अधिक का जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा।

19. खेतिहर द्वारा अफीम के गबन के लिए दंड– केन्द्रीय सरकार के लिए अफीम पोस्त की खेती करने के लिए अनुज्ञप्त जो, कोई खेतिहर उत्पादित अफीम या उसके किसी भाग का गवन करेगा या उसका अन्यथा अवैध व्ययन करेगा वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु बीस वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी, जो एक लाख रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु दो लाख रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगाः

परन्तु न्यायालय, ऐसे कारणों से, जो निर्णय में लेखबद्ध किए जाएंगे, दो लाख रुपये से अधिक का जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा।

20. कैनेबिस के पौधे और कैनेबिस के सम्बंध में उल्लंघन के लिए दंड– जो कोई, इस अधिनियम के किसी उपबंध या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम का निकाले गए किसी आदेश या दी गई अनुज्ञप्ति की शर्त के उल्लंघन में,–

(क) किसी कैनेबिस के पौध की खेती करेगा, या

(ख) कैनेबिस का उत्पादन, विनिर्माण, कब्जा, विक्रय, क्रय, परिवहन, अंतरराज्यिक आयात, अंतरराज्यिक निर्यात या उपयोग करेगा–

(i) जहां ऐसा उल्लंघन गांजा या कैनेबिस के पौधे की खेती के सम्बंध में है वहां, कठोर कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी, जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा,

(i i) जहां ऐसा उल्लंघन गांजा में भिन्न कैनेबिस के सम्बंध में है वहां कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु बीस वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा किन्तु जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगाः

परन्तु न्यायालय, ऐसे कारणों से, जो निर्णय में लेखबद्ध किए जाएंगे, दो लाख रुपए से अधिक का जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा।

21. विनिर्मित औषधियों और निमिर्तियों के सम्बंध में उल्लंघन के लिए दंड– जो कोई, इस अधिनियम के किसी उपबन्ध या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या निकाले गए किसी नियम या निकाले गए किसी आदेश या दी गई अनुज्ञप्ति की षर्त के उल्लंघन में किसी विनिर्मित औषधि का या किसी विनिर्मित औषधि को अंतबिष्ट करने वाली किसी निर्मिति का विनिर्माण, कब्जा, विक्रय, क्रय, परिवहन,स्वाषक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम अन्तरराज्यिक आयात, अंतरराज्यिक निर्यात या उपयोग करेगा, वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु बीस वर्ष तक की हो सकेगी, जुर्माने से भी, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा किन्तु दो लाख रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगाः

परन्तु न्यायालय, ऐसे कारणों से, जो निर्णय में लेखबद्ध किए जाएंगे, दो लाख रुपये से अधिक का जुर्माना अधिरोपित्त कर सकेगा।

22. मनः प्रभावी पदार्थों के सम्बंध में उल्लंघन के लिए दन्ड–जो कोई, इस अधिनियम के किसी उपबन्ध या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या निकाले गए किसी आदेश या दी गई अनुज्ञप्ति की शर्तों के उल्लंघन में किसी मनःप्रभावी पदार्थ का विनिर्माण, कब्जा, विकय, कय, परिवहन, अन्तरराज्यिक आयात, अन्तराराज्यिक निर्यात या उपयोग करेगा वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु बीस वर्ष तक हो सकेगी, और जुर्माने से भी, जो एक लाख रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु दो लाख रुपए तक का हो सकेगा, दन्डनीय होगाः

परन्तु न्यायालय, ऐसे कारणों से, जो निर्णय में लेखबद्ध किए जाएंगे, दो लाख रुपए से अधिक का जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा।

23. स्वापक औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों के अवैध रूप से भारत में आयात, भारत से निर्यात या यानांतरण के लिए दन्ड– जो कोई, इस अधिनियम के किसी उपबन्ध या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या निकाले गए किसी आदेष या दी गई अनुज्ञप्ति या अनुज्ञापत्र या जारी किए गए प्रमाणपत्र या प्राधिकार के उल्लंघन में किसी स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ का भारत में आयात करेगा या भारत से निर्यात या यानांतरण करेगा, वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु बीस वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी, जो एक लाख रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु दो लाख रुपए तक का हो सकेगा, दन्डनीय होगाः

परन्तु न्यायालय, ऐसे कारणों से, जो निर्णय में लेखबद्ध किए जाएंगे, दो लाख रुपए से अधिक का जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा।

24. धारा 12 के उल्लंघन में स्वापक औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों में बाह्य व्यवहार के लिए दण्ड– जो कोई, किसी ऐसे व्यापार में लगेगा या उसका नियंत्रण करेगा, जिसके द्वारा कोई स्वापक औषधि या कोई मनःप्रभावी पदार्थ केन्द्रीय सरकार के पूर्व अधिकार के बिना या धारा 12 के अधीन दिए गए ऐसे किसी प्राधिकार की शर्तों से

(यदि कोई हों) अन्यथा भारत के बाहर अभिप्राप्त किया जाता है और उनका भारत से बाहर किसी व्यक्ति को पदाय किया जाता है, वह कठोर कारावास से, जिनकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु बीस वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा किन्तु दो लाख रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

परन्तु न्यायालय, ऐसे कारणों से, जो निर्णय में लेखबद्ध किए जाएंगे, दो लाख रुपए से अधिक का जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा।

25. किसी अपराध के किए जाने के लिए किसी परिसर, आदि का उपयोग किए जाने की अनुज्ञा देने के लिए दण्ड—जो कोई, किसी गृह, कक्ष अहाते, जगह, स्थान, जीवजन्तु या प्रवहण का स्वामी या अधिभोगी होते हुए अथवा उसका नियंत्रण या उपयोग करते हुए उसका किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन दण्डनीय कोई अपराध करने के लिए उपयोग किए जाने की जानबूझकर अनुज्ञा देगा, कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु बीस वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा किन्तु दो लाख रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगाः

परन्तु न्यायालय, ऐसे कारणों से, जो निर्णय में लेखबद्ध किए जाएंगे, दो लाख रुपए से अधिक का जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा।

[25 क. धारा 9 क के अधीन किए गए आदेशों के उल्लंघन के लिए दण्ड—यदि कोई व्यक्ति धारा 9के के अधीन किए गए किसी आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगाः

परन्तु न्यायालय, ऐसे कारणों से, जो निर्णय में लेखबद्ध किए जाएंगे, दो लाख रुपए से अधिक का जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा।]

26. अनुज्ञप्तिधारी या उसके सेवकों द्वारा किए गए कुछ कार्यों के लिए दण्ड—यदि इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या निकाले गए किसी आदेश के

अधीन दी गई किसी अनुज्ञप्ति या अनुज्ञापत्र प्राधिकार का धारक अथवा उसके नियोजन में का और उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई व्यक्ति–

(क) इस अधिनियम के उपबन्धों या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अनुसार लेखा रखने या विवरणी प्रस्तुत करने का किसी युक्तियुक्त हेतुक के बिना लोप करेगा,

(ख) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा उस निर्मित प्राधिकृत किसी अधिकारी की मांग पर ऐसी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या प्राधिकार पेश करने में किसी युक्तियुक्त हेतुक के बिना असफल रहेगा,

(ग) ऐसा कोई लेखा रखेगा या ऐसा कोई कथन करेगा जो मिथ्या है अथवा जिसके बारे में वह जानता है या उसे विष्वास करने का कारण है कि वह गलत है, या

(घ) ऐसी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या प्राधिकार की किसी शर्त को, जिसके लिए इस अधिनियम में अन्यत्र कोई शस्ति विहित नहीं की गई है, भंग करके, जानबूझ कर और जानते हुए, कोई कार्य करेगा,

तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से दण्डनीय होगा।

27. किसी स्वापक अवधि या मनःप्रभावी पदार्थ के वैयक्तिक उपयोग के लिए अल्प मात्रा में अवैध कब्जा रखने या ऐसी औषधि या पदार्थ के उपभोग के लिए दण्ड–जो कोई, इस अधिनियम के किसी उपबन्ध या इसके अधीन बनाये गए किसी नियम या निकाले गए किसी आदेश अथवा दिए गए किसी अनुज्ञापत्र के उपबन्धों के उल्लंघन में अल्पमात्रा में ऐसी कोई स्वापक औषधि या मनःप्रभाबी पदार्थ अपने कब्जे में रखेगा जिसके बारे में ये साबित कर दिया जाता है कि वह उसके वैयक्तिक उपभोग के लिए न कि विक्रय या वितरण के लिए आषयित है अथवा किसी स्वाषक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ का उपभोग करेगा, वह इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी–

(क) जहां ऐसी स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ, जो कब्जे में रखा गया या उपयोग स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम किया गया है, कोकेन,

मार्फीन, मार्फीन, डाइ–ऐसीटल माफिन या ऐसी अन्य स्वापक औषधि या ऐसा कोई मनःप्रभावी पदार्थ है, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निर्मित विनिदिष्ट किया जाए, वहां कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा, और

(ख) जहां ऐसी स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ, जो कब्जे में रखा गया, या उपयोग किया गया है, खंड (क) में विनिर्दिष्ट औषधि या पदार्थ से भिन्न है वहां कारावास से जिसकी अवधि छह माह तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण– (1) इस धारा के प्रयोजन के लिए ''अल्प मात्रा'' से ऐसी मात्रा अभिप्रेत जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, समय–समय पर, निर्दिष्ट की जाए।

(2) जहां किसी व्यक्ति के बारे में यह दर्शित किया जाता है कि उसके कब्जे में अल्प मात्रा में कोई स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ है वहां यह साबित करने का भार कि वह ऐसे व्यक्ति के वैयक्तिक उपभोग के लिए न कि विक्रय या वितरण के लिए है आषयित था, ऐसे व्यक्ति पर होगा।

[27 क. अवैध व्यापार का वित्त पोषण करने और अपराधियों को संश्रय देने के लिए दंड–जो कोई, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः धारा 2 के खंड (viiik) उपखंड (i) से उपखंड (v) तक में विनिर्दिष्ट किसी क्रियाकपाल का वित्तपोषण करने में या पूर्व वर्णित क्रियाकलापों में से किसी क्रियाकलाप में लगे व्यक्ति को संश्रय देने में संलग्न होगा, वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो बीस वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा किन्तु जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा–

परन्तु न्यायालय, ऐसे कारणों से जो निर्णय में लेखबद्ध किए जाएंगे, दो लाख रुपए से अधिक का जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा।]

28 अपराध करने के प्रयत्नों के लिए दंड-- जो कोई इस अध्याय के अधीन दंडनीय कोई अपराध करने का या ऐसे अपराध का किया जाना कारित करने का प्रयत्न करेगा और ऐसा प्रयत्न करने में उस अपराध के सम्बंध में कोई कार्य करेगा, वह उस अपराध के लिए उपबन्धित दंड से दंडनीय होगा।

29. दुष्प्रेरणा और आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड-- (1) जो कोई इस अध्याय के अधीन दंडनीय किसी अपराध का दुष्प्रेरण करेगा या ऐसा कोई अपराध करने के आपराधिक षड़यंत्र का पक्षकार होगा, वह चाहे ऐसा अपराध ऐसे दुष्प्रेरणा के परिणाम स्वरूप या ऐसा आपराधिक षड़यंत्र के अनुसरण में किया जाता है या नहीं किया जाता है और भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 15) की धारा 116 में किसी बात के होते हुए भी, उस अपराध के लिए उपबन्धित दंड से दंडनीय होगा।

(2) वह व्यक्ति इस धारा के अर्थ में किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है या ऐसा कोई अपराध करने के आपराधिक षड़यंत्र का पक्षकार होता है जो भारत में, भारत से बाहर और परे किसी सीमा में ऐसा कोई कार्य किए जाने का भारत में दुष्प्रेरण करता है या ऐसे आपराधिक षड़यन्त्र का पक्षकार होता है, जो

(क) यदि भारत के भीतर किया जाता तो, अपराध गठित करता, या

(ख) ऐसे स्थान की विधियों के अधीन स्वापक औषधियों या मनःप्रभावी पदार्थों से सम्बंधित ऐसा अपराध है, जिसमें उसे ऐसा अपराध गठित करने के लिए अपेक्षित वैसी ही या उसके समरूप सभी विधिक शर्त है जैसी उसे इस अध्याय के अधीन दंडनीय अपराध गठित करने के लिए अपेक्षित विधिक शर्तें होती यदि ऐसा अपराध भारत में किया जाता।

30. तैयारी--यदि कोई व्यक्ति, ऐसा कोई कार्य, जो धारा 15 से धारा 25 तक के (दोनों सहित) किसी उपबन्ध के अधीन दंडनीय अपराध गठित करता है, करने की तैयारी करेगा या करने का लोप करेगा और मामले की परिस्थितियों से युक्तियुक्त रूप में यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वह उस अपराध को करने के अपने आषय को कार्यान्वित करने के लिए दृढ़ संकल्प था किन्तु उसे उसकी इच्छा से स्वतंत्र

परिस्थितियों द्वारा रोका गया था तो वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि ऐसे कारावास की, जिससे यदि वह ऐसा अपराध करता तो दंडनीय होता, न्यूनतम अवधि (यदि कोई हो) के आधी से कम की नहीं होगा किन्तु ऐसे कारावास की, अधिकतम अवधि के आधे तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी, जो ऐसे जुर्माने की जिसके वह पूर्वोक्त दषा में दंडनीय होता, न्यूनतम रकम (यदि कोई हो) के आधे से कम का नहीं होगा किन्तु ऐसे जुर्माने की, जिससे वह साधारणतया (अर्थात् विषेष कारणों के अभाव में) दंडनीय होता, अधिकतम रकम के आधे तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा,

परन्तु न्यायालय ऐसे कारणों से, जो निर्णय में लेख बद्ध किए जाएंगे, उच्चतर जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा।

31. पूर्व दोषसिद्धि के पश्चात् कुछ अपराधों के लिए अवधि दंड– (1) यदि कोई व्यक्ति जिसको धारा 15 से धारा 25 के अधीन (दोनों सहित) दंडनीय कोई अपराध करने या करने का प्रयत्न करने या उसका दुरूप्रेरण करने या करने का आपराधिक षड्यंत्र करने के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, तत्पश्चात्–

(क) धारा 15 से धारा 19, धारा 20 के खंड (ii) और धारा 21 से धारा 25 के अधीन (दोनों सहित) दंडनीय कोई अपराध करने या करने का प्रयत्न करने या उसका दुष्प्रेरण करने या करने का आपराधिक षड़यंत्र करने के लिए, सिद्धदोष ठहराया जाता है तो वह द्वितीय और प्रत्येक पश्चात्वर्ती अपराध के लिए, कठोर कारावास से, जिसकी अवधि पन्द्रह वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, जो एक लाख पचास हजार रुपए से कम का नहीं होगा किन्तु तीन लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा,

(ख) धारा 20 के खंड (i) के अधीन दंडनीय कोई अपराध करने का या करने का प्रयत्न करने या उनका दुष्प्रेरण करने या करने का आपराधिक षड़यंत्र के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है तो वह द्वितीय और प्रत्येक पश्चात्वर्ती अपराध के लिए, कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगाः

परन्तु न्यायालय, ऐसे कारणों से, जो निर्णय में लेखबद्ध किए जाएंगे–

(i) खंड (क) के अन्तर्गत आने वाले मामले में, तीन लाख रुपए से अधिक का जुर्माना और

(ii) खंड (ख) के अन्तर्गत आने वाले मामले में, एक लाख रुपए से अधिक का जुर्माना, अधिरोपित कर सकेगा।

(2) जहां कोई व्यक्ति धारा 15 से धारा 25 (दोनों सहित) धारा 28 और धारा 29 स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के उपबन्धों की तत्स्थानी किसी विधि के अधीन भारत के बाहर दांडित अधिकारिता वाले किसी सक्षम न्यायालय द्वारा सिद्धदोष ठहराया जाता है वहां ऐसे व्यक्ति से ऐसी दोषसिद्धि की बाबत उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए इस प्रकार बरता जाएगा मानों वह भारत में किसी न्यायालय द्वारा सिद्धदोष ठहराया गया हो।

[31 क. **पूर्व दोषसिद्धि के पश्चात् कुछ अपराधों के लिए मृत्यु दंड**– (1) धारा 31 में किसी बात के होते हुए भी, धारा 15 से धारा 25 (दोनों सहित) या धारा 27 क के अधीन दंडनीय किसी अपराध के किए जाने या करने का प्रयत्न करने या दुष्प्रेरणा करने या करने के आपराधिक षड़यंत्र के लिए सिद्धदोष कोई व्यक्ति, यदि वह निम्नलिखित से सम्बंधित अपराध के किए जाने या करने का प्रयत्न करने का दुष्प्रेरण करने या करने के आपराधिक षड़यन्त्र के लिए तद्नन्तर सिद्धदोष ठहराया जाता है तो मृत्युदंड से दण्डनीय होगा, अर्थात–

(क) नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (1) के अधीन विनिर्दिष्ट स्वापक औषधियों या मनःप्रभावी पदार्थों और उनमें अन्तर्वलित मात्रा के, जो उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट ऐसी प्रत्येक औषधि या पदार्थ के सामने उपदर्षित मात्रा के बराबर या उससे अधिक है, उत्पादन, विनिर्माण, कब्जा, परिवहन, भारत में आयात, भारत से निर्यात या यानांतरण में लगे रहने से सम्बंधित अपराधः

सारणी

स्वापक आषधियों/मनःप्रभावी पदार्थों की विशिष्टियां	मात्रा

(1)	(2)
(i) अफीम	10 किलोग्राम
(ii) मार्फीन	1 किलोग्राम
(iii) हिरोइन	1 किलोग्राम
(iv) कोडीन	1 किलोग्राम
(v) थिवेन	1 किलोग्राम
(vi) कोकेन	500 ग्राम
(vii) हषीष	20 किलोग्राम
(viii) उपरोक्त औषधियों में से किसी औषधि की निषपभावी सामग्री सहित या उससे रहित कोई मिश्रण	1,500 ग्राम
(ix) एल.एस.डी.,एल.एस.डी.–25 (+)–एन,	
(ix) एल. एस. डी,., एल. एस. डी.–25 (+)–एन, एन–डाइएथिललाइसरजैमाईड (डी–लाइसर्जिक अम्ल डाइथिएलामाइड)	500ग्राम
(x) टी. एन. सी. [ट्रेट्राहाइड्रोकेनाबिनोल्स, निम्नलिखित समाव्यपीः 6ए (10 ए), 6ए (7), 7, 8, 9, 10, 9 (11) और उनके त्रिविम रासायनिक रूप भेद]	500 ग्राम
(ix) मेथेमफेटामिन (+) –2– मेथिलामाइन–1–फेनिलप्रोपेन	1,500 ग्राम
(xii) मेथाक्वेलोन (2–मेथिल–3– ओ–टोलिल–4– (3एच) क्विनेजोलिनोन)	1,500 ग्राम
(xiii) एम्फटेमिन (+)–2–2–एमिनो–1– फेनिलप्रोपेन	1,500 ग्राम
(xiv) (ix) से (xiii) में वर्णित मनःप्रभावी पदार्थों के लवण और निर्मितियों	1,500 ग्राम

(ख) खंड (क) में विनिर्दिष्ट कियाकलापों में से किसी कियाकलाप का, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, वित्तपोषण करना।

(2) जहां कोई व्यक्ति धारा 15 से धारा 25 (जिनमें दोनों धाराएं सम्मिलित हैं), धारा 27क, धारा 28 या धारा 2 के उपबन्धों के तत्समान किसी विधि के अधीन भारत के बाहर किसी दांडिक अधिकारिता वाले सक्षम न्यायालय द्वारा सिद्धदोष ठहराया जाता है, वह ऐसी दोषसिद्धि की बाबत ऐसे व्यक्ति के बारे में उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए ऐसी कार्यवाही की जाएगी मानों वह भारत में किसी न्यायालय द्वारा सिद्धदोष ठहराया गया हो।]

32. ऐसे अपराधों के लिए दंड जिनके लिए किसी का उपबन्ध नहीं किया गया है– जो कोई इस अधिनियम के किसी उपबन्ध या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम निकाले गए किसी आदेष का दी गयी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या प्राधिकार की किसी शर्त का, जिसके लिए इस अधय में पृथक, रूप से किसी दंड का उपबन्ध नहीं किया गया है, उल्लंघन करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडनीय होगा।

[32क. इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी दंडादेश का निलम्बन, परिहार या लघुकरण न होना–दंड प्रकिया संहिता, 1973 (1974 का 2) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु धारा 33 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के अधीन (धारा 27 से भिन्न) दिए गए किसी दंडाकेश का निलम्बन या परिहार या लघुकरण नहीं किया जाएगा।]

33. दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 की धारा 360 और अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 का लागू होना–दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 360 या अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 (1958 का 20) की कोई बात इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष किसी व्यक्ति को तब तक लागू नहीं होगी जब तक वह व्यक्ति अठारह वर्ष से कम आयु का नहीं है अथवा वह अपराध, जिसके लिए उस व्यक्ति को सिद्धदोष ठहराया जाता है धारा 26 या धारा 27 के अधीन दण्डनीय नहीं है।

34. अपराध के लिए जाने से प्रविरत रहने के लिए प्रतिभूति– (1) जब किसी कोई व्यक्ति अध्याय 4 के किसी उपबन्ध के अधीन दण्डनीय किसी अपराध की सिद्धदोष ठहराया जाता है और उसे सिद्धदोष ठहराने वाले न्यायालय की यह राय है कि ऐसे व्यक्ति से इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने से अविरत रहने के लिए बन्धपत्र निष्पादित करने की अपेक्षा की जानी आवष्यक है तो वह न्यायालय ऐसे व्यक्ति को दण्ड पारित करते समय उसे आदेष दे सकेगा कि वह तीन वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के दौरान, जिसे नियत करना वह न्यायालय ठीक समझे, अध्याय 4 के अधीन कोई अपराध करने से प्रविरत रहने के लिए प्रतिभुओं सहित या उनके बिना, अपने साधनों की आनुपादित राशि के लिए बन्धपत्र निष्पादित करें।

(2) बन्धपत्र ऐसे प्रारूप में होगा जो केन्द्रीय सरकार विति करें और दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के उपबन्ध, जहां तक वे लागू होते हैं, ऐसे बन्धपत्र से सम्बंधित सभी बातों को इस प्रकार लागू होगे मानों वे परिषांति बनाए रखने के लिए उस संहिता की धारा 106 के अधीन निष्पादित किए जाने के लिए आदिष्ट बन्धपत्र हों।

(3) यदि दोषसिद्धि, अपील पर या अन्यथा, अपास्त कर दी जाती है तो इस प्रकार निष्पादित बन्धपत्र शून्य हो जाएगा।

(4) इस धारा के अधीन कोई आदेश किसी अपील न्यायालय द्वारा या उच्च न्यायालय द्वारा या सेशन न्यायाधीश द्वारा भी, जब वह पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो, किया जा सकेगा।

35. आपराधिक मानसिक दशा की उपधारणा– (1) इस अधिनियम के अधीन किसी ऐसे अपराध के किसी अभियोजन में, जिसमें अभियुक्त की मानसिक दशा अपेक्षित है, न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि अभियुक्त की ऐसी मानसिक दशा है किनतु अभियुक्त के लिए यह सत्य साबित करना एक प्रतिरक्षा होगी कि इस अभियोजन में अपराध के रूप में आरोपित कार्य के बारे में उसकी जैसी मानसिक दशा नहीं थी।

स्पष्टीकरण–इस धारा में ''आपराधिक मानसिक दशा'' के अन्तर्गत आशय, हेतु, किसी तथ्य का ज्ञान और किसी तथ्य में विश्वास या उस पर विश्वास करने का कारण है।

(2) इस धारा के प्रयोजन के लिए कोई तथ्य केवल तभी साबित किया गया कहा जाता है जब न्यायालय युक्तियुक्त संदेह से परे यह विष्वास करें कि वह तथ्य विद्यमान है और केवल इस कारण नहीं कि उसकी विद्यमानता अधिसंभाव्यता की प्रबलता के कारण सिद्ध होती है।

[**36. विशेष न्यायालयों का गठन**– (1) सरकार, इस अधिनियम के अधीन अपराधों का शीघ्र विचारण करन के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उतने विशेष न्यायालयों का, जितने ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए आवष्यक हों, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, गठन कर सकेगी।

(2) विशेष न्यायालय में एकल न्यायाधीश होगा जिसे सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति के नियुक्त किया जाएगा।

(3) कोई भी व्यक्ति किसी विशेष न्यायालय में न्यायाधीष के रू‍प में नियुक्ति के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा जब तक वह ऐसी नियुक्ति के ठीक पहले सेषन न्यायाधीष या अपर सेशन न्यायाधीश न हो।]

36क. विशेष न्यायालयों द्वारा विचारणीय अपराध–(1) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी,–

(क) इस अधिनियम के अधीन सभी अपराध उस क्षेत्र के लिए, जिसमें अपराध किया गया है, गठित विशेष न्यायालय द्वारा ही या जहां ऐसे क्षेत्र के लिए एक से अधिक विशेष न्यायालय हैं वहां उनमें से ऐसे एक के द्वारा ही, जिसे सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाये, विचारणीय होंगे।

(ख) जहां इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के अभियुक्त या उसके किये जाने संदेहयुक्त, किसी व्यक्ति को दंड प्रकिया संहिता, 19/3 (1974 का 2) की धारा 167 की उपधारा (2) या उपधारा (2क) के अधीन किसी मजिस्ट्रेट को भेजा जाता है, वहां ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति को ऐसी अभिरक्षा में, जो वह उचित समझें, कुल मिलाकर पन्द्रह दिन से अनधिक की अवधि के लिए, जहां ऐसा मजिस्ट्रेट है और कुल

मिलाकर सात दिन की अवधि के लिए जहां ऐसा मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट है, निरोध के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।

परन्तु जहां ऐसे मजिस्ट्रेट का–

(i) जहां ऐसा व्यक्ति पूर्वोक्त रूप में उसको भेजा जाता है, या

(ii) उसके द्वारा प्राधिकृत निरोध की अवधि की समाप्ति पर या उसके पूर्व किसी भी समय,

यह विचार है कि ऐसे व्यक्ति का निरोध अनावश्यक है, वहां वह ऐसे व्यक्ति को अधिकारिता रखने वाले विशेष न्यायालय को भेजे जाने का आदेश करेगा।

(ग) विशेष न्यायालय, उपखण्ड (ख) के अधीन उसको भेजे गये किसी व्यक्ति के संबंध में, उसी शक्ति का प्रयोग कर सकेगा जिसका प्रयोग किसी मामले का विचारण करने की अधिकारिता रखने वाला मजिस्ट्रेट, दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 167 के अधीन, ऐसे मामले में किसी अभियुक्त व्यक्ति के संबंध में, जिसे उस धारा के अधीन उसको भेजा गया है, कर सकता है।

(घ) विशेष न्यायालय इस अधिनियम के अधीन अपराध गठित करने वाले तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट का परिशीलन करने पर केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किये गये परिवाद पर अपराधी को विचारण के लिए उसको सुपुर्द न किये जाने की दशा में भी उस अपराध का संज्ञान कर सकेगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण करते समय, विशेष न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध से भिन्न ऐसे अपराध का भी विचारण कर सकेगा जिसके लिए अभियुक्त को, दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अधीन, उसी विचारण में आरोपित किया जा सकता है।

(3) इस धारा की कोई भी बात दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 439 के अधीन जमानत से संबंधित उच्च न्यायालय की विशेष शक्तियों को भी प्रभावित करने वाली नहीं समझी जायेगी और उच्च न्यायालय ऐसी शक्तियों का प्रयोग, जिसके अन्तर्गत उस धारा की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन शक्ति भी है, ऐसे

कर सकेगा मानों उस धारा में मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश के अन्तर्गत धारा 36 के अधीन गठित विशेष न्यायालय के प्रति निर्देश भी हैं।

36–ख. अपील और पुनरीक्षण– उच्च न्यायालय, जहां तक लागू हो सके, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अध्याय 29 और अध्याय 30 द्वारा उच्च न्यायालय को प्रदत्त सभी शक्तियों का प्रयोग ऐसे कर सकेगा, मानों उच्च न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर कोई विशेष न्यायालय, उच्च न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर मामलों का विचारण करने वाला सेषन न्यायालय है।

36ग. विषेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों को संहिता का लागू होना– इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के उपबन्ध (जिसके अंतर्गत जमानत और बन्धपत्रों से सम्बंधित उपबन्ध भी है) किसी विषेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों को लागू होंगे और उक्त उपबन्धों के प्रयोजनों के लिए विशेष न्यायालय, एक सेषन न्यायालय समझा जाएगा, और विशेष न्यायालय के समक्ष अभियोजन संचालित करने वाला व्यक्ति लोक अभियोजन समझा जाएगा।

36घ. संक्रमणकालीन उपबन्ध–(1) धारा 36 के अधीन किसी विशेष न्यायालय का गठन होने तक, स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ (संशोधन) अधिनियम, 1988 (1989 का 2) के प्रारम्भ पर या उसके पश्चात् इस अधिनियम के अधीन किए गए अपराध का विचारण दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी, सेशन न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

परन्तु धारा 26, धारा 27 और धारा 32 के अधीन दण्डनीय अपराधों का संक्षेपतः विचारण किया जा सकता है।

(2) उपधारा (1) की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी ऐसे अपराध के सम्बंध में, जिसका संज्ञान सेशन न्यायालय द्वारा उपधारा (1) के अधीन किया गया है, किसी कार्यवाही का अंतरण विशेष न्यायालय को करने की अपेक्षा करती है और उसकी सुनवाई तथा उसका निपटारा सेषन न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

[**37. अपराधों का अंज्ञेय और अजमानतीय होना**– (1) दंड प्रकिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी,–

(क) इस अधिनियम के अधीन दंडनीय प्रत्येक अपराध संज्ञेय होगा,

(ख) इस अधिनियम के अधीन पांच वर्ष या उससे अधिक के कारावास की अवधि से दंडनीय अपराध के अभियुक्त किसी भी व्यक्ति को जमानत पर या मुचलके पर तभी नियुक्ति किया जाएगा जब–

(i) लोक अभियोजन को ऐसी निर्मुक्ति के लिए किए गए आवेदन का विरोध करने का अवसर दे दिया गया है, और

(ii) जहां लोक अभियोजन आवेदन का विरोध करता है वहां न्यायालय का यह समाधान हो गया है कि यह विश्वास करने के युक्तियुक्त आधार है कि वह ऐसे अपराध का दोष नहीं है और जमानत पर होने के दौरान उसके द्वारा कोई अपराध किए जाने को संभावना नहीं है।

(2) उपधारा (1) के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट जमानत मंजूर करने के सम्बंध में से परिसीमाएं दण्ड प्रकिया संहिता 1973 (1974 का 2) या त समय प्रवृत किसी अन्य विधि के अधीन जमानत मंजूर करने की बाबत परिसीमाओं के अतिरिक्त है।]

38. कम्पनियों द्वारा अपराध– (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है वहां प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कम्पनी के कारबार के संचालन के लिए उस कम्पनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कम्पनी भी, उस अपराध के दोषी समझे जाएंगे तथा तदनुसार अपने विरूद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे:–

परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी व्यक्ति को किसी दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया

गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उसकी किसी उपेक्षा के कारण हुआ माना जाता है वहां ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, या सचिव या अन्य अधिकारी भी, उस अपराध का दोषी समझा जाऐगा तथा तद्नुसार अपने विरूद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण– इस धारा के प्रयोजन के लिए–

(क) "कम्पनी" से कोई निगर्मित से उस फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम है, और इसके अन्तर्गत फर्म या व्ययष्टियों का अन्य संगम है, और

(ख) फर्म के सम्बंध में "निदेशक" से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।

39. कुछ अपराधियों को परिवीक्षा पर निर्मुक्त करने की न्यायालय की शक्ति–(1) जब किसी व्यसनी को धरा 29 के अधीन दंडनीय किसी अपराध का दोषी पाया जाता है और यदि उस न्यायालय की, जिसके द्वारा वह दोषी पाया जाता है, अपराधी की आयु, चरित्र, पूर्ववृत्त अथवा शारीरिक या मानसिक दषा को ध्यान में रखते हुए, यह राय है, कि ऐसा करना समीचीन है, तब इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, न्यायालय उसे तत्काल किसी कारावास से दंडादिष्ट करने के बजाय, उसकी सहमति से यह निदेष दे सकेगा कि उसे सरकार द्वारा चलाए जा रहे या मान्यता प्राप्त किसी अस्पताल या संस्था से निराविषीकरण या निराव्यसन के लिए चिकित्सीय उपचार कराने के लिए और न्यायालय के समक्ष एक वर्ष से अधिक की अवधि के भीतर हाजिर होने और अपने चिकित्सीय उपचार के परिणाम के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए या इस बीच अध्याय 4 के अधीन किसी अपराध को करने

से प्रविरत रहने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित प्रारूप में, प्रतिभुओं संहित या उसके बिना, बन्धपत्र निष्पादित करने पर निर्मुक्त किया जाए।

(2) यदि चिकित्सीय उपचार के परिणाम के बारे में उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत की गई रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि ऐसा करना समीचीन है तो न्यायालय अपराधी को उसके द्वारा तीन वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के दौरान, जो न्यायालय विनिदिष्ट करना ठीक समझे, अध्याय 4 के अधीन कोई अपराध करने से प्रविरत रहने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित प्रारूप में प्रतिभुओं सहित या उनके बिना बन्धपत्र निष्पादित किए जाने पर, सम्यक् भर्त्सना के पष्चात् निर्मुक्त किए जाने, अथवा उसके इस प्रकार प्रविरत रहने में असफल रहने पर न्यायालय के समक्ष हाजिर होने और ऐसी अवधि के दौरान जब अपेक्षा की जाए दंडादेश प्राप्त करने के लिए निर्देश दे सकेगा।

40. कुछ अपराधियों के नामें, कारबार के स्थान आदि की प्रकाषित करने की न्यायालय की शक्ति– (1) जहां किसी व्यक्ति का, धारा 15 से धारा 25 (दोनों सहित), धारा 28 या धारा 29 या धारा 30 के अधीन दंडनीय किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया जाता है वहां उस व्यक्ति को सिद्धदोष ठहराने वाला न्यायालय ऐसे व्यक्ति का नाम और कारबार का स्थान या निवास–स्थान, उल्लंघन की प्रकृति, यह तथ्य कि इस प्रकार सिद्धदोष ठहराया गया है और ऐसी अन्य विशिष्टियां, जो न्यायालय मामले की परिस्थितियों में समुचित समझ, ऐसे व्यक्ति के व्यय पर ऐसे समाचार पत्रों में या ऐसी रीति से, जो न्यायालय निर्दिष्ट करें, प्रकाषित कराने के लिए सक्षम होगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई प्रकाशन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि न्यायालय के आदेशों के विरूद्ध अपील करने की अवधि का कोई अपील किए बिना अवसान नहीं हो जाता है या ऐसी अपील किए जाने पर उसका निपटान नहीं कर दिया जाता है।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी प्रकाशन का व्यय सिद्धदोष ठहराए गए व्यक्ति से इस प्रकार वसूलीय होगा मानों वह न्यायालय द्वारा अधिरोपित जुर्माना हो।

अध्याय–पांच

प्रकिया

41. वारन्ट जारी करने की शक्ति और प्राधिकार– (1) महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या इस निमित राज्य सकरार द्वारा विशेष रूप से सशक्त द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट, किसी ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए, जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि उसने अध्याय 4 के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया है, या किसी ऐसे भवन, प्रवहण या स्थान की, दिन में या रात में, तलाषी के लिए जिसके बारे में उसके पास विष्वास करने का कारण है कि वहां कोई ऐसी स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ, जिसकी बाबत अध्याय 4 के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया गया है, या कोई ऐसी दस्तावेज या अन्य वस्तु जो ऐसे अपराध किए जाने का साक्ष्य हो सकती है, रखी या छिपाई गई है, वारन्ट जारी कर सकेगा।

(2) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, स्वापक, सीमाशुल्क, राजस्व आसूचना या केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य विभाग का या सीमा सुरक्षा बल का राजपत्रित पंक्ति का ऐसा कोई अधिकारी जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा, इस निमित (सशक्त किया जाता है, अथवा किसी राज्य सरकार के राजस्व, औषधि नियंत्रण, उत्पाद–षुल्क, पुलिया या किसी अन्य विभाग का कोई अधिकारी, जिसे राज्य सरकार के साधारण या विशेष आदेश द्वारा निर्मित सशक्त किया जाता है यदि उसके पाास व्यक्तिगत जानकारी या किसी व्यक्ति या गयी और लिखी गई इतिला से यह विष्वास करने का कारण है किसी व्यक्ति के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया है अथवा कोई ऐसी स्वापक औषधि या पदार्थ जिसकी बाबत अध्याय 4 के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया गया है।

दस्तावेज या अन्य वस्तु जो ऐसे अपराध के किए जाने का साक्ष्य हो सकती है, किसी भवन प्रवहण या स्थान में रखी या छिपाई गई है, अपने अधीनस्थ किन्तु किसी चपरासी, सिपाही कांस्टेबल की पंक्ति से वरिष्ठ किसी अधिकारी को ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा या ऐसे भवन, प्रवहण या स्थान की तलाषी ले सकेगा।

(3) ऐसे अधिकारी को, जिसको उपधारा (1) के अधीन कोई वारन्ट संबोधित किया जाता है और ऐसे अधिकारी को, जो गिरफ्तारी या तलाशी को प्राधिकृत करता है, या ऐसे अधिकारी को, जो उपधारा (2) के अधीन इस प्रकार प्राधिकृत किया जाता है, धारा 42 के अधीन कार्य करने वाले अधिकारी की सभी शक्तियां होगी।

42. वारन्ट या प्राधिकार के बिना प्रवेश तलाशी, अभिग्रहण और गिरफ्तार करने की शक्ति– (1) केन्द्रीय उत्पाद–शुल्क स्वापक, सीमाशुल्क, राजस्व आसूचना या केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य विभाग का या सीमा सुरक्षा बल का ऐसा कोई अधिकारी (जो किसी चपरासी, सिपाही या कांस्टेबिल की पंक्ति से वरिष्ठ अधिकारी है) जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा, इस निर्मित सशक्त किया जाता है, अथवा किसी राज्य सरकार के राजस्व, औषधि नियंत्रण, उत्पाद–शुल्क, पुलिस या अन्य किसी विभाग का ऐसा कोई अधिकारी (जो किसी चपरासी, सिपाही या कांस्टेबिल की पंक्ति से वरिष्ठ अधिकारी है), जिसे राज्य सरकार के साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित सशक्त किया जाता है, यदि उसके पास व्यक्तिगत जानकारी या किसी व्यक्ति द्वारा दी गई और लिखी गई इत्तिला से यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसी कोई स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ जिसकी बाबत अध्याय 4 के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया गया है या कोई ऐसी दस्तावेज या अन्य वस्तु जो ऐसे अपराध के किए जाने का साक्ष्य हो सकती है, किसी भवन, प्रवहण या परिविष्टित स्थान में रखी या छिपाई है, सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच–

(क) किसी ऐसे भवन, प्रवहण या स्थान में प्रवेश कर सकेगा,

(ख) प्रतिरोध की दशा में, किसी द्वार को तोड़ सकेगा और ऐसे प्रवेश करने में किसी अन्य बाधा को हटा सकेगा।

(ग) ऐसी औषधि या पदार्थ और उसके विनिर्माण में प्रयुक्त सभी सामग्री और किसी अन्य वस्तु और किसी जीवजन्तु या प्रवहण को, जिसकी बाबत उसके पास यह विश्वास करने का कारण है वह इस अधिनियम के अधीन अधिहरणीय है और किसी दस्तावेज या अन्य वस्तु को, जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि यह

अध्याय 4 के अधीन दंडनीय किसी ऐसे अपराध, के जो ऐसे औषधि या पदार्थ से सम्बंधित है, किए जाने का साक्ष्य हो सकती है, अभिगृहीत कर सकेगा, और

(घ) किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि उसके ऐसी औषधि या पदार्थ के सम्बंध में, अध्याय 4 के अधीन दंडनीय कोई अपराध, जो किया है, निरूद्ध सकेगा और उसकी तलाषी ले सकेगा और यदि वह उचित समझें तो उसे गिरफ्तार कर सकेगा।

परन्तु यदि ऐसे व्यक्ति के पास यह विश्वास करने का कारण है कि तलाशी, वारन्ट या प्राधिकार, साक्ष्य छिपाने के लिए अवसर दिए बिना या किसी अपराधी को निकल भागने से लिए सुविधा दिए बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता है तो वह सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच किसी भी समय ऐसे भवन, प्रवहण या परिवेष्ठित में, स्थान अपने विष्वास के आधारों को लेखबद्ध करने के पष्चात् प्रवेष कर सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा।

(2) जहां कोई अधिकारी, किसी इत्तिला को उपधारा (1) के अधीन लिखता है या अपने विष्वास के आधारों का उस उपधारा के परन्तुक के अधीन लेखबद्ध करता है वहां वह उसकी एक प्रति अपने अव्यवहित पदीय वरिष्ठ को तत्काल भेजेगा।

43. लोक स्थानों में अभिग्रहण और गिरफ्तार करने की शक्ति– धारा 42 में उल्लिखित किसी विभाग का कोई अधिकारी–

(क) किसी लोक स्थान में या अभिवहन में, किसी ऐसे स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ को, उसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि अध्याय 4 के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया गयाहै और ऐसी औषधि या पदार्थ के साथ किसी ऐसे जीवजन्तु या प्रवहण या वस्तु को, जो इस अधिनियम के अधीन अधिहरणीय है और किसी ऐसी दस्तावेज या अन्य वस्तु को, जिसके बारे में उसके पास यह विष्वास करने का कारण है कि वह ऐसी औषधि या पदार्थ के सम्बंध में, अध्याय 4 के अधीन दंडनीय किसी अपराध के किए जाने का साक्ष्य हो सकती है अभिगृहत कर सकेगा,

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि उसके अध्याय 4 के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया है, निरुद्ध कर सकेगा

और उसकी तलाशी ले सकेगा तथा यदि ऐसे व्यक्ति के कब्जे में कोई स्वाषक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ है और ऐसा कब्जा उसे विधिविरुद्ध प्रतीत होता है तो उसे और उसके साथ के किसी अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा।

स्पष्टीकरण– इस धारा के प्रयोजनों के लिए, ''लोक स्थान'' पद के अन्तर्गत कोई ऐसा लोक प्रवहण, होटल, दुकान या अन्य स्थान है जो जनता द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए आषयित है या जिस तक जनता की पहुंच हो सकती है।

44. कोका के पौधे, अफीम पोस्त और कैनेबिस के पौधे से सम्बंधित अपराधों में प्रवेष, तलाशी, अभिग्रहण और गिरफ्तार करने की शक्ति– धारा 41, धारा 42 और धारा 43 के उपबन्ध जहां तक हो सके, अध्याय 4 के अधीन दंडनीय और कोका के पौधे, अफीम पोस्त या कैनेबिस के पौधे से सम्बंधित अपराधों के सम्बंध में लागू होंगे तथा इस प्रयोजन के लिए उन धाराओं में स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थों के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अन्तर्गत कोका के पौधे, अफीम पोस्त और कैनेबिस के पौधे के प्रति निर्देष हैं।

45. जहां अधिहरण के लिए दायी माल का अभिग्रहण साध्य नहीं है वहां प्रकिया– जहां कसी ऐसे माल का (जिसके अन्तर्गत खड़ी फसल है) जो इस अधिनियम के अधीन अधिहरण के लिए दायी है, अभिग्रहण साध्य नहीं है वहां धारा 42 के अधीन सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई अधिकारी, मील के स्वामी पर या उस पर कब्जा रखने वाले व्यक्ति पर इस आदेश की तालीम कर सकेगा कि वह ऐसे अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा से ही ऐसे माल को हटाएगा, उसको बिलग करेगा, उसके बारे में अन्यथा कार्यवाही करेगा, अन्यथा नहीं।

46. अवैध खेती की इत्तिला देने का भू–धारक का कर्त्तव्य– प्रत्येक भू–धारक किसी ऐसे अफीम पोस्त, कैनेबिस के पौधे के कोका के पौधे के बारे में, जिसकी खेती उसकी भूमि में अवैध रूपे से की जाती है, इत्तिला तुरन्त किसी पुलिस अधिकारी या धारा 42 में उल्लिखित किसी विषय के अधिकारी को देगा और प्रत्येक ऐसा भू–धारक जो जानते हुए ऐसी इत्तिला देने की उपेक्षा करेगा, दंड का भागी होगा।

47. अवैध खेती की इत्तिला देने का कुछ अधिकारियों का कर्त्तव्य– सरकार का प्रत्येक अधिकारी और प्रत्येक पंच, सरपंच और किसी भी प्रकार का अन्य ग्राम अधिकारी, जैसे ही उसकी जानकारी में यह आए कि किसी भूमि पर अफीम पोस्त, कैनेबिस के पौधे या कोका के पौधे की अवैध खेती की गई है, उसकी इत्तिला तुरन्त किसी पुलिस अधिकारी को या धारा 42 में उल्लिखित किसी विभाग के किसी अधिकारी को, देगा और सरकार का प्रत्येक ऐसा अधिकारी, पंच सरपंच और अन्य ग्राम अधिकारी जो ऐसी इत्तिला देने की उपेक्षा करेगा दण्ड का भागी होगा।

48. अवैध रूप से की गई खेती की फसल को कुर्क करने की षक्ति– कोई महानगर मजिस्ट्रेट या कोई ऐसा मजिस्ट्रेट जिसे राज्य सरकार द्वारा [धारा 42 के अधीन सषक्त राजपत्रित पंक्ति के किसी अधिकारी] इस निर्मित विषेष रूप से सषक्त किया जाए, किसी ऐसे अफीम पोस्त, कैनेबिस के पौधे, या कोका के पौधे को जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने के कारण है, कि उसकी अवैध रूप से खेती की गई है, कुर्क करने का आदेश दे सकेगा और ऐसा करते समय ऐसा आदेष (जिसके अन्तर्गत फसल को नष्ट करने का आदेश है) जो वह टीक समझे, पारित कर सकेगा।

49. प्रवहण को रोकने और उसकी तलाशी लेने की शक्ति– धारा 42 के अधीन प्राधिकृत कोई अधिकारी, यदि उसके पास यह सन्देह करने का कारण है कि किसी जीवजन्तु या प्रवहण का उपयोग किसी ऐसी स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ के परिवहन के लिए किया गया है या किया जाने वाला है जिसके बारे में उसे यह सन्देह है कि इस अधिनियम के किसी उपबन्ध का उल्लंघन किया गया है या किया जा रहा है या किया जाने वाला है तो वह किसी भी समय ऐसे जीवजन्तु का प्रवहण को रोक सकेगा अथवा वायुयान की दषा में, उसे भूमि पर उतरने के लिए विवश कर सकेगा और:–

(क) प्रवहण की या उसे किसी भाग की छानबीन कर सकेगा और तलाशी ले सकेगा,

(ख) ऐसे जीवजन्तु पर के या ऐसे प्रवहण में के किसी माल की परीक्षा कर सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा,

(ग) यदि ऐसे जीवजन्तु या प्रवहण को रोकना आवश्यक हो जाता है तो उसे रोकने के लिए सभी विधिपूर्ण साधनों का उपयोग कर सकेगा और जहां ऐसे साधन असफल रहते हैं वहां ऐसे जीवजन्तु या प्रवहण पर गोली चलाई जा सकेगी।

50. वे शर्तें जिनके अधीन व्यक्तियों की तलाशी ली जायेगी– (1) जब धारा 42 के अधीन सम्यक् रूप के प्राधिकृत कोई अधिकारी, धारा 41: धारा 42 या धारा 43 के उपबन्धों के अधीन किसी व्यक्ति की तलाशी लेने वाला है तब वह ऐसे व्यक्ति को यदि ऐसा व्यक्ति ऐसी अपेक्षा करें तो, बिना अनावश्यक विलम्ब के धारा 42 में उल्लिखित किसी विभाग निकटतम राजपत्रित अधिकारी या निकटतम मजिस्ट्रेट के पास ले जायेगा।

(2) यदि ऐसी अपेक्षा की जाती है तो ऐसा अधिकारी ऐसे व्यक्ति को तब तक निरूद्ध रख सकेगा जब तक वह उसे उपधारा (1) में निर्दिष्ट, राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष नहीं ले जा सकता।

(3) यदि ऐसा राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट, जिसके समक्ष कोई ऐसा व्यक्ति लाया जाता है, तलाशी के लिए कोई उचित आधार नहीं पाता है तो वह ऐसे व्यक्ति को तत्काल उन्मोचित कर देगा किन्तु अन्यथा यह निर्देष देगा कि तलाषी ली जाए।

(4) किसी स्त्री की तलाशी, स्त्री से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं ली जाऐगी।

51. दंड प्रकिया संहिता, 1973 के उपबन्धों का वारन्ट, गिरफ्तारी, तलाशी और अभिग्रहण को लागू होना– दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के उपबन्ध जहां तक वे इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत नहीं है, इस अधिनियम के अधीन जारी किए गए सभी वारन्टों तथा की गई गिरफ्तारियों, तलाशियों और अभिग्रहणों को लागू होंगे।

52. गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों और अभिगृहीत वस्तुओं का निपटारा– (1) धारा 41, या धारा 42, धारा 43 या धारा 44 के अधीन किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने वाला कोई अधिकारी यथाशीघ्र, उसे ऐसी गिरफ्तारी के आधारों की इत्तिला देगा।

(2) धारा 41 की उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए वारंट के अधीन गिरफ्तार किए गए प्रत्येक व्यक्ति और अभिगृहीत की गई प्रत्येक वस्तु को, अनावश्यक विलम्ब के बिना ऐसे मजिस्ट्रेट को भेजा जायेगा जिसने वारन्ट जारी किया हो।

(3) धारा 41 की उपधारा (2), धारा 42, धारा 43, या धारा 44 के अधीन गिरफ्तार गिए गए प्रत्येक व्यक्ति और अभिगृहीत की गई वस्तु को, अनावश्यक विलम्ब के बिना–

(क) निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को, या

(ख) धारा 53 के अधीन सषक्त अधिकारी को, भेजा जाएगा।

(4) ऐसा प्राधिकारी या अधिकारी, जिसको कोई व्यक्ति या वस्तु उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन भेजी जाती है, सुविधानुसार शीघ्रता से ऐसे उपाय करेगा जो ऐसे व्यक्ति या वस्तु के विधि के अनुसार निप्टारे के लिए आवश्यक है।

[52क. अभिगृहीत स्वापक औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों का व्ययन– (1) केन्द्रीय सरकार, किन्हीं स्वापक औषधियों या मनःप्रभावी पदार्थों की परिसंकटमय, प्रकृति चोरी की उनकी भेद्यता, प्रतिस्थापन, उचित भण्डारण स्थान की कभी या किन्हीं अन्य सुसंगत बातों को ध्यान में रखते हुए राजपत्र में प्रकाशित अभिसूचना द्वारा, ऐसी स्वापक औषधियों या मनःप्रभावी पदार्थों या ऐसी स्वापक औषधियों के वर्ग या मनःप्रभावी पदार्थों के वर्ग विनिर्दिष्ट कर सकेगी जिनका व्ययन, उनके अभिग्रहण के पश्चात् यथाषीघ्र ऐसे अधिकारी द्वारा इसमें इसके पश्चात् विनिर्दिष्ट प्रकिया का अनुमरण करने के पष्चात् ऐसी रीति से किया जायेगा जो वह सरकार, समय–समय पर, अवधारित करें। निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी या धारा 53 के अधीन सशक्त किसी अधिकारी को भेज दिया गया है, वहां उपधारा (1) में निदिष्ट अधिकारी ऐसी स्वापक औषधियों या मनःप्रभावी पदार्थों की एक तालिका तैयार करेगा जिसमें सड़क वर्णन, क्वालिटी, परिणाम, पैक करने के ढंग, चिह्नांकन, संख्यांक या ऐसी स्वाषक औषधियां, उद्भव का देष और अन्य विशिष्टियों से सम्बंधित ऐसे अन्य ब्यौरे दिए गए हों, जिन्हें उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी, इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों में ऐसी

स्वापक औषधियों या मनःप्रभावी पदार्थों को पहचान के लिए के लिए सुसंगत समझें और किसी मजिस्ट्रेट को निम्नलिखित प्रयोजन के लिए आवेदन करेगा,

अर्थात्:–

(क) ऐसे तैयार की गई तालिका का सही होना प्रमाणित करने के लिए, या

(ख) ऐसे मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में ऐसी औषधियों या पदार्थों के फोटोचित्र लेने और ऐसे फोटोचित्रों का सही होना प्रमाणित करने के लिए, या

(ग) ऐसे मजिस्ट्रेटों की उपस्थिति में ऐसी औषधियों या पदार्थों के प्रतिनिधि नमूने लिए जाने की अनुज्ञा देने के लिए और ऐसे लिए गए नमूनों की किसी सूची का सही होना प्रमाणित करने के लिए।

(3) जहां उपधारा (2) के अधीन कोई आवेदन किया जाता है वहां ऐसा मजिस्ट्रेट यथावश्यक शीघ्र ऐसा आवेदन मंजूर करेगा।

(4) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1972 (1872 का 1) या दंड प्रकिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनिमय के अधीन किसी अपराध का विचारण करने वाला प्रत्येक न्यायालय, उपधारा (2) के अधीन तैयार की गई और मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित तालिका, स्वावक औषधियों या मनःप्रभावी पदार्थों के फोटोचित्रों और नमूनों की सूची को, ऐसे अपराध के सम्बंध में, प्राथमिक साक्ष्य मानेगा।]

53. पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी की शक्तियां कुछ विभागों के अधिकारियों में विनिहित करने की शक्तियां– (1) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार से परामर्ष करने के पष्चात् राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के अधीन अपराधों के अन्वेषण के लिए पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी की ष्षक्तियां, केन्द्रीय उत्पाद–शुल्क, स्वापक, सीमा शुल्क, राजस्व आसूचना या सीमा सुरक्षा बल के किसी अधिकारी अथवा ऐसे वर्ग के अधिकारियों में विनिहित कर सकेगी।

(2) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के अधीन अपराधों के अन्वेषण के लिए किसी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी की शक्तियां, औषधि

नियंत्रण, राजस्व या उत्पाद शुल्क विभागों के किसी अधिकारी अथवा ऐसे वर्ग के अधिकारियों में विनिहित कर सकेगी।

[53क. **कतिपय परिस्थितियों में कथनों की सुसंगति**–(1) अपराधों का अन्वेषण करने के लिए धारा 53 के अधीन सषक्त किसी अधिकारी के समक्ष, ऐसे अधिकारी द्वारा की गई किसी जांच या कार्यवाही के दौरान किसी व्यक्ति द्वारा किया गया और हस्ताक्षरित कोई कथन उसमें अंतविष्ट तथ्यों की सत्यता साबित करने के प्रयोजन के लिए, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए किसी अभियोजन में सुसंगत होगा–

(क) जब ऐसा कथन करने वाले व्यति की मुत्यु हो गई है या वह मिल नहीं सकता है या साक्ष्य देने में असमर्थ है या प्रतिपक्ष द्वारा उसे पहुंच के बार कर दिया गया है या जिसकी उपस्थिति इतनें विलंब या व्यय के बिना जितना कि मामले की परिस्थितियों में, न्यायालय आयुक्तियुक्त समझा है, अभिप्राप्त नहीं की जा सकती है, या

(ख) जब कथन करने वाले व्यक्ति की न्यायालय के समक्ष मामले में साक्ष्शी के रूप में परीक्षा की जाती है और मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय की राय है कि न्याय के हित में, कथन को साक्षय में ग्रहण कर लिया जाना चाहिए।

(2) उपधारा (1) के उपबन्ध, जहां तक हो सके, इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या आदेषों के अधीन किसी कार्यवाही के सम्बंध में जो किसी कार्यवाही के सम्बन्ध में, जो किसी न्यायालय के समक्ष कार्यवाही से भिन्न है, उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे किसी न्यायालय के समक्ष किसी कार्यवाही के सम्बंध में लागू होते हैं।

54. **अवैध वस्तुओं के कब्जे से उपधारण**– इस अधिनियम के अधीन विचारणों में, जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता है यह उपधारणा की जा सकेगी कि अपराधी ने–

(क) किसी ऐसी स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ,

(ख) किसी ऐसी भूमि पर जिस पर उसने खेती की है, उगे हुए किसी ऐसे अफीम पोस्त, कैनेबिस के पौधे या कोका के पौधे,

(ग) किसी स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ के विनिर्माण के लिए विशेष रूप से परिकल्पित किसी साधित्र या विशेष रूप से अनुकूलित बर्तनों के किसी ऐसे वर्ग, या

(घ) किसी ऐसी सामग्री जिस पर किसी स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ के विनिर्माण से सम्बंधित कोई प्रसंरकार किया गया है या ऐसी सामग्री के कोई ऐसा अवशिष्ट जिससे किसी रवामक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ का विनिर्माण किया गया है, बचे किसी ऐसे अपशिष्ट,

की बाबत जिसके कब्जे के बारे में वह समाधानप्रद रूप में हिसाब देने में असफल रहता है, अध्याय 4 के अधीन कोई अपराध किया है।

55. अभिगृहीत और परिदत्त वस्तुओं का पुलिस द्वारा अपने भार साधन में लेना– किसी पुलिस थाने का कोई भारसाधक अधिकारी ऐसी सभी वस्तुओं का, जो उस पुलिस थाने के स्थानीय क्षेत्र के भीतर इस अधिनियम के अधीन अभिगृहीत की जाए और जो उसे परिदत्त की जाए, मजिस्ट्रेट के आदेशों के लम्बित रहने के दौरान, अपने भारसाधन में लेगा और उन्हें सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा किसी ऐसे अधिकारी को जो ऐसी सभी वस्तुओं के साथ पुलिस थाने तक जाए या जो उस प्रयोजन के लिए तैयार किया जाए ऐसी वस्तुओं पर अपनी मुद्रा लगाने के लिए या उनके या उनमें से नमूना लेने के लिए अनुज्ञात करेगा तथा इस प्रकार लिए गए सभी नमूने भी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी की मुद्रा से मुद्राकिंत किए जायेंगे।

56. एक दूसरे की सहायता करने की अधिकारियों की बाध्यता– धारा 42 में उल्लिखित विभिन्न विभागों के सभी अधिकारी, सूचना दिए जाने या अनुरोध किए जाने पर, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यानिव्त करने में एक दूसरे की सहायता करने में लिए वैद्य रूप में आबद्ध होगे।

57. गिरफ्तारी और अभिग्रहण की रिपोर्ट– जब कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन कोई गिरफ्तारी या अभिग्रहण करता है तब वह ऐसी गिरफ्तारी या अभिग्रहण के ठीक पश्चात् अडतालीस घण्टों के भीतर, ऐसी गिरफ्तारी या अभिग्रहण की सभी विशिष्टियों की पूरी रिपोर्ट अपने अव्यवहित पदीय वरिष्ठ अधिकारी को देगा।

58. तंग करने वाले, प्रवेश, तलाशी, अभिग्रहण या गिरफ्तारी के लिए दंड– (1) धारा 42 या धारा 43 या धारा 44 के अधीन सशक्त कोई व्यक्ति जो–

(क) सन्देह के किसी युक्तियुक्त आधार के बिना किसी भवन, प्रवहण या स्थान में प्रवेश करेगा या उसकी तलाशी लेगा अथवा उसमें प्रवेश करवाएगा या उसकी तलाशी करवाएगा,

(ख) इस अधिनियम के अधीन अभिग्रहण के लिए दायी किसी स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ या अन्य वस्तु को अभिगृहीत करने या उसकी तलाशी लेने अथवा धारा 42, धारा 43 या धारा 44 के अधीन अभिग्रहणीय किसी दस्तावेज या अन्य वस्तु को अभिगृहीत करने के बहाने किसी व्यक्ति की सम्पत्ति को, तंग करने की दष्टि से और अनावश्यक रूप से अभिगृहीत करेगाः या

(ग) किसी व्यक्ति को तंग करने की दृष्टि से या अनावश्यक रूप से निरूद्ध करेगा, उसकी तलाशी लेगा या उसे गिरफ्तार करेगा,

वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा।

(2) कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन जान–बूझ कर और दुर्भाव से मिथ्या इत्तिला देगा और उसके अधीन इस प्रकार कोई गिरफ्तारी या तलाशी करवायेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्मान से, या दोनों से, दंडनीय होगा।

59. अधिकारी की कर्तव्य में असफलता या इस अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन में उसकी मोनानुकूलता–(1)कोई अधिकारी, जिस पर इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन कोई कर्तव्य अधिरोपित किया गया है, और जो अपने पद के कर्तव्यों का अनुपालन करने से प्रविरत रहेगा या इंकार करेगा या उससे अपने आपको प्रत्याहृत करेगा, वह जब तक कि उसने अपने पदीय वरिष्ठ की स्पष्ट लिखित अनुज्ञा प्राप्त नहीं कर ली हो या उसके पास ऐसा करने के लिए अन्य विधिपूर्ण हेतुक न हो, कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डनीय होगा।

[(2) कोई अधिकारी, जिस पर इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन कोई कर्तव्य अधिरापित किया गया है गया कोई व्यक्ति, जिसे,–

(क) किसी व्यसनी, या

(ख) किसी अन्य व्यक्ति, जिसे इस अधनियम के अधीन किसी अपराध के लिए आरोपित किया गया है, की अभिरक्षा सौंपी गई है और जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम या आदेष के किसी उपबंध के उल्लंघन में जानबूझकर सहायता करेगा या मौनानुकूल रहेगा, वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो बीस वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी, जो एक लाख रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो दो लाख रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

स्पष्टीकरण– इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, ''अधिकारी'' पद के अंतर्गत ऐसी कोई व्यक्ति है जो धारा 64क के अधीन सरकार या किसी सीनीय प्राधिकरण द्वारा चलाए जा रहे या मान्यता प्राप्त किसी अस्पताल या संस्था में निराव्यसन उपचार करने के लिए नियोजित हैं।]

(3) कोई न्यायालय उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन किसी अपराध का संज्ञान, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की मंजूरी से किए गए लिखित परिवाद पर ही करेगा, अन्यथा नहीं।

60. अवैध औषधियों, पदार्थों, पौधों, वस्तुओं और प्रवहणों का अधिहरण किए जाने का दायी होगा– (1) जब कभी अध्याय 4 के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया गया है, जब ऐसी स्वाषक औषधि, मनःप्रभावी पदार्थ, अफीम पोस्त, कोका के पौधे कैनेबिस के पौधे, सामग्री, साधित्र और बर्तन जिनकी बाबत या जिनके माध्यम से ऐसा अपराध किया गया है, अधहरणीय होंगे।

(2) कोई ऐसी स्वाषक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ, जिसका किसी ऐसी स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ के या उसके अतिरिक्त जो उपधारा (1) के अधीन अधिहरणीय है, अवैध रूप से उत्पादन, अंतरराज्य आयात, अंतरराज्य निर्यात, भारत में आयात, परिवहन,

विनिर्माण, कब्जा, उपयोग कय या विक्रय किया जाता है और ऐसे पात्र, पैकेज और आवेष्टक जिनमें उपधारा (1) के अधीन अधिहरणीय कोई स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ, सामग्री, साधित्र या बर्तन पाया जाता है और ऐसे पात्र या पैकेज की कोई अन्तर्वस्तु, यदि कोई हो, उसी प्रकार अधिहरणीय होंगी।

(3) किसी स्वापक औषधि, या मनःप्रभावी या उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन अधिहरणीय किसी वस्तु के वहन में उपयोग में लाया गया कोई जीवजन्तु या प्रवहण अधिहरणीय होगा तक कि जीवजंतु या प्रवहण का स्वामी यह साबित नहीं कर देता है कि उसका इस प्रकार उपयोग स्वयं स्वामी, उसके अभिकर्ता, यदि कोई है, और उस जीवजन्तु या प्रवहण के भारसाधक व्यक्ति के ज्ञान या मौनानुकूलता के बिना किया गया था और उनमें से प्रत्येक ने ऐसे उपयोग के विरूद्ध सभी समुचित पूर्वावधानिया बरती थी।

61. अवैध औषधियों या पदार्थों या पदार्थों को छिपाने के लिए उपयोग में लाए माल का अधिहरण– किसी स्वाषक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ को, जो इस अधिनियम के अधीन अधिहरणीय है, छिपाने के लिए उपयोग में लाया गया कोई माल अधिहरणीय होगा।

स्पष्टीकरण– इस धारा में, ''माल'' के अन्तर्गत परिवहन के साधनों के रूप में प्रवहरण नहीं है।

62. अवैध औषधियों या पदार्थों के विक्रय के अगामों का अधिहरण– जहां किसी स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ का विक्रय किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिसको यह ज्ञान या विश्वास करने का कारण है कि ऐसे औषधि या पदार्थ इस अधिनियम के अधीन अधिहरणीय है यहां उसके विक्रय का आगम भी अधिहरणीय होगा।

63. अधिहरण करने में प्रक्रिया– (1) इस अधिनियम के अधीन अपराधों के विचारण में, चाहे अभियुक्त को सिद्धदोष या दोषमुक्त या उन्मोदित किया जाता है, न्यायालय यह विनिश्चय करेगा कि क्या इस अधिनियम के अधीन अभिगृहीत कोई बस्तु या चीज धारा

60 या धारा 61 या धारा 62 के अधीन अधिहरण के लिए दायी है और यदि वह यह विनिष्चय करता है कि वस्तु इस प्रकार अधिहरण के लिए दायी है तो वह तद्नुसार अधिहरण का आदेष कर सकेगा।

(2) जहां इस अधिनियम के अधीन अभिगृहीत कोई वस्तु या चीज धारा 60 या धारा 61 या धारा 62 के अधीन अधिहरण के लिए दायी प्रतीत होती है किन्तु वह व्यक्ति जिसने उसके सम्बंध में अपराध किया है, ज्ञात नहीं है या पाया नहीं जा सकता है वहां न्यायालय ऐसे दायित्व के बारे में जिच कर सकेगा तथा तदनुसार अधिहरण का आदेश कर सकेगा।

परन्तु किसी वस्तु या चीज के अधिग्ररण का कोई आदेश, अभिग्ररण की तारीख से एक मास की समाप्ति तक या ऐसी किसी व्यक्ति की, जो उसके प्रति किसी अधिकार का दावा करें, सुनवाई के और ऐसे साक्ष्य के, यदि कोई हो, बिना जो वह अपने दावे की बाबत पेश करता है, नहीं किया जाएगा।

परन्तु यह और कि यदि किसी स्वाषक औषधि, मनःप्रभावी पदार्थ, अफीम पोस्त, कोका के पौधे या कैनेबिसके पौधे से भिन्न कोई वस्तु या चीज शीघ्रतया और प्रकृत्या क्षयशील है या यदि न्यायालय की यह राय है कि उसका विक्रय उसके स्वामी के फायदे के लिए होगा तो वह उसके विक्रय के लिए किसी समय निर्देश दे सकेगा और उपधारा के उपबन्ध विक्रय के शुद्ध आगमों को यथाशक्त साध्य रूप में लागू होंगे।

(3) कोई व्यक्ति जो सिद्धदोष नहीं ठहराया गया है और जो इस धारा के अधीन अधिकृत किसी सम्पत्ति के प्रति, कोई दावा करता है, ऐसे अधिहरण के आदेष के विरुद्ध सेशन न्यायालय को अपील कर सकेगा।

64. अभियोजन से उन्मुक्ति देने की शक्ति– (1) केन्द्रीय सरकार, या राज्य सरकार यदि उसकी यह राय है (ऐसी राय के लिय कारण लेखबद्ध किए जायेंगे) कि किसी ऐसे व्यक्ति का साक्ष्य अभिप्राप्त करने की दृष्टि से, जो इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या आदेष के उल्लंघन से प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः सम्बद्ध या संसर्गिक प्रतीत होता है, ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है

तो वह ऐसे व्यक्ति को, यथास्थिति इस अधिनियम या भारतीय दंड संहिताया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजन से इस शर्तें पर उनमुक्ति दे सकेगा कि वह ऐसे उल्लंघन से सम्बंधित संपूर्ण परिस्थितियों का पूर्ण और सही प्रकटीकरण करेगा।

(2) सम्बंधित व्यक्ति को दी गई और उसके द्वारा स्वीकार की गई उन्मुक्ति, उस सीमा तक जिस तक उन्मुक्ति का विस्तार है उसे किसी ऐसे अपराध के लिए जिसकी बाबत उन्मुक्ति दी गई थी, अभियोजन से उन्मुक्त कर देगी।

(3) यदि, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को यह प्रतीत होता है कि उस व्यक्ति ने, जिसे इस धारा के अधीन उन्मुक्ति दी गई है, उन षर्तोंका, जिनके अधीन उन्मुक्ति दी गई थी, पालन नहीं किया गया है या यह जानबूझकर कोई बात छिपा रहा है या मिथ्या साक्ष्य दे रहा है तो यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार उन प्रभाव का निष्कर्ष लेखबद्ध कर सकेगी और तब उन्मुक्ति प्रत्याहृत की गई समझी जाएगी और ऐसे व्यक्ति का उस अपराध के लिए, जिसके लिए उन्मुक्ति दी गई थी उसी विषय के सम्बंध में किसी अन्य अपराध के लिए, जिसका वह दोषी प्रतीत होता है, विचारण किया जा सकेगा।

[64क. ऐसे व्यक्तियों को अभियोजन से उन्मुक्ति जो स्वेच्छा उपचार कराते हैं—कोई व्यसनी, जिस पर धारा 15 से धारा 25 तक (दोनों सहित) या धारा 27 क के अधीन दंडनीय किसी अपराध का आरोप नहीं है और जो सरकार या किसी सीनीय प्राधिकरण द्वारा चलाए जा रहे या मान्यता प्राप्त किसी अस्पताल या किसी ऐसी संस्था से निराविशीकरण या निराव्यसन के लिए स्वेच्छा चिकित्सीय उपचार लेना चाहता है और ऐसा उपचार लेता है, अपने जीवनकाल में एक बार धारा 27 के अधीन अभियोजन के लिए दायी नहीं होगाः

परन्तु यदि व्यसनी निराविशीकरण या निराव्यसन के लिए पूर्ण उपचार नहीं लेता है तो अभियोजन से उक्त उन्मुक्ति को वापस लिया जा सकेगा।]

65. स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (संशोधन) अधिनियम, 1988 (1989 का 2) की धारा 18 द्वारा (29–5–1989 से) निरसित।

66. कुछ मामलों में दस्तावेज के बारे में उपधारणा–जहां कोई दस्तावेज–

(i) इस अधिनियम या किसी अन्य विधि के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा पेष की जाती है या दी जाती है अथवा किसी व्यक्ति की अभिरक्षा या नियंत्रण में से अभिगृहीत की जाती है, दोनों मामलों में, या

(ii) इन अधिनियम के अधीन किसी अपराध के, जिसका किसी व्यक्ति द्वारा किया जाना अभिकथित है, अन्वेषण के अनुक्रम में भारत से बाहर किसी स्थान से (ऐसे प्राधिकरण या व्यक्ति द्वारा और ऐसी रीति से, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहीत की जाए, सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित रूप में) प्राप्त की जानी है,

और ऐसी दस्तावेज इस अधिनियम के अधीन किसी अभियोजन में उसके विरुद्ध या उसके और ऐसे किसी अन्य व्यक्ति के विरूद्ध जिसका उसके साथ संयुक्त रूप से विचारण किया जाता है, साक्ष्य में पेश की जाती है वहां न्यायालय–

(क) जब तक प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता है यह उपधारणा करेगी कि ऐसी दस्तावेज का, जिसका किसी विशिष्ट व्यक्ति के हस्तक्षेप में होगा तात्पर्यित है या जिसके बारे में न्यायालय युक्तियुक्त रूप से धारणा करे कि वह किसी विशिष्ट व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था, हस्ताक्षर और प्रत्येक अन्य भाग उस व्यक्ति के हस्तक्षेप में है, तथा निष्पादित और अनुप्रमाणित दस्तावेज की दशा में यह कि वह उस व्यक्ति द्वारा निष्पादित या अनुप्रमाणित की गई थी जिसके द्वारा उसका इस प्रकार निष्पादित या अनुप्रमाणित किया जाना तात्पर्यित है,

(ख) किसी दस्तावेज को, यदि ऐसी दस्तावेज साक्ष्य में अन्यथा ग्राह्य है, इस बात के होते हुए भी कि वह सम्यक् रूप से स्थापित नहीं है साक्ष्य में ग्रहण करेगा।

(ग) खंड (i) के अन्तर्गत आने वाले किसी मामले में, जब तक कि प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता है ऐसा दस्तावेज की अन्तर्वस्तु की भी उपधारणा करेगा।

67. जानकारी आदि मांगने की शक्ति– धारा 42 में निर्दिष्ट कोई ऐसा अधिकारी जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित प्राधिकृत किया जाता है, इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के उल्लंघन के सम्बंध में किसी जांच के अनुक्रम में–

(क) अपना वह समाधान करने के प्रयोजन के लिए कि क्या इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गये किसी नियम या आदेश के उपबंधों का उल्लंघन हुआ है, किसी व्यक्ति से जानकारी मांग सकेगा,

(ख) किसी व्यक्ति से, जांच के लिए उपयोगी या सुसंगत किसी दस्तावेज या बीज को पेष करने या परिदत्त करने की अपेक्षा कर सकेगा।

(ग) मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित किसी व्यक्ति की परीक्षा कर सकेगा।

68. अपराधों के किए जाने के बारे में इत्तिला– उस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या निकाले गए किसी आदेश के किसी उपबन्ध के अधीन उसमें निहित शक्तियों के प्रयोग में कार्य करने वाला कोई भी अधिकारी यह कहने के लिए विवश नहीं किया जाएगा कि ऐसे किसी अपराध के किए जाने के बारे में कोई इत्तिला उसे कब मिली।

अध्याय– पांच–क

अवैध व्यापार से प्राप्त हुई या उसमें उपयोग की गई सम्पत्ति का समहरण

68क. लागू होना– (1) इस अध्याय के उपबन्ध उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को ही लागू होंगे।

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति निम्नलिखित है, अर्थात–

(क) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसे इस अधिनियम के अधीन पांच वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है,

(ख) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसे भारत के बाहर दांडिक अधिकारिता वाले किसी सक्षम न्यायालय द्वारा समरूप अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है,

(ग) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसकी बाबत स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 46) के अधीन या जम्मू कश्मीर स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का जम्मू कष्मीर अधिनियम 23) के अधीन निरोध आदेश किया गया है,

परन्तु यह तब जब ऐसा निरोध आदेश युक्त अधिनियमों के अधीन गठित सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट पर वापस न ले लिया गया हो या ऐसा निरोध आदेश सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय द्वारा आस्त न कर दिया गया होः

(घ) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति का नातेदार हैः

(ड.) खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) मे निर्दिष्ट व्यक्ति का प्रत्येक सहयुक्त व्यक्ति,

(च) किसी ऐसी सम्पत्ति का, जो पहले किसी समय खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति के पास थी, कोई धारक (जसे इसे खंड में इसके पष्चात् ''वर्तमान धारक'' कहा गया है) तब तक जब तक कि, यथास्थिति, वर्तमान धारक या ऐसा कोई व्यक्ति, जिसके पास ऐसे व्यक्ति के पश्चात् और वर्तमान धारक या ऐसा

कोई व्यक्ति, जिसके पास ऐसे व्यक्ति के पश्चात, और वर्तमान धारक के पूर्व ऐसी सम्पत्ति थी, पर्याप्त प्रतिफल के लिए सद्भाविक अन्तरिती नहीं है या था।

68ख. परिभाषाएं– इस अध्याय में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) ''अपील अधिकरण'' से धारा 68ढ के अधीन गठित समपहृत सम्पत्ति अपील अधिकरण अभिप्रेत है,

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति के सम्बंध में, जिसकी सम्पत्ति इस अध्याय के अधीन समपहृत की जा सकती है, ''सहयुक्त'' से अभिप्रेत है–

(i) ऐसा कोई व्यक्ति जो ऐस व्यक्ति के आवासिक परिसर में (जिसके अन्तर्गत उपगृह भी है) रह रहा था या रह रहा है,

(ii) ऐसा कोई व्यक्ति जो ऐसे व्यक्ति के कामकाज का प्रबन्ध करता था या कर रहा है अथवा लेखा रखता था या रख रहा है,

(iii) कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अर्थ में कोई ऐसा व्यक्ति संगम, व्यष्टिनिकाय, भागीदारी फर्म या प्राइवेट कम्पनी, जिसका ऐसा व्यक्ति सदस्य, भागीदार या निदेशक रहा था या है,

(iv) ऐसा कोई व्यक्ति जो उपखंड (iii) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति संगम, व्यष्टि–निकाय भागीदारी फर्म या प्राइवेट कम्पनी का किसी भी समय तब सदस्य रहा था या है जब ऐसा व्यक्ति ऐसे संगम, निकाय, भागीदारी फर्म या प्राइवेट कम्पनी का सदस्य, भागीदार या निदेशक रहा था या है,

(v) ऐसा कोई व्यक्ति, जो उपखंड (iii) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति संगम, व्यष्टि–निकाय भागीदारी फर्म या प्राइवेट कम्पनी के कामकाज का प्रबन्ध करता था या कर रहा है अथवा लेखा रखता था या रख रहा है,

(vi) किसी न्याय का न्यासी, जहां–

(1) न्यास ऐसे व्यक्ति द्वारा सृष्ट किया गया है, या

(2) न्याय में ऐसे व्यक्ति द्वारा अभिदान की गई आस्तियों का उस तारीख को, जिसको आस्तियों का अभिदान किया गया है, मूल्य (जिसके अन्तर्गत उसके द्वारा पहले अभिदाय की गई आस्तियों का, यदि कोई है, मूल्य भी है) उस तारीख को न्याय की आस्तियों के मूल्य के बीस प्रतिषत से कम नहीं है,

(vii) जहां सक्षम प्राधिकारी का उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, यह विचार है कि ऐसे व्यक्ति की सम्पत्तियां किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसकी ओर से धारित की जाती है, वहां ऐसा अन्य व्यक्ति,

(ग) ''सक्षम प्राधिकारी'' से केन्द्रीय सरकार का कोई ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है जो धारा 68घ के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत किया गया हो,

(घ) ''छिपाया जाना'' से सम्पत्ति की प्रकृति, स्रोत, व्ययन, संचलन या स्वामित्व का छिपाया जाना या प्रच्छन्न किया जाना अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत इलैक्ट्रानिक परेषण द्वारा या किसी अन्य साधन द्वारा ऐसी सम्पत्ति का संचालन या संपरिवर्तन भी है,

(ड.) ''रोक लगाना'' से धारा 68च के अधीन जारी किए किसी आदेश द्वारा सम्पत्ति के अन्तरण, संपरिवर्तजन, व्ययन या संचालन का अस्थायी तौर पर प्रतिशेध करना अभिप्रेत है,

(च) '' पहचान करना'' के अन्तर्गत यह सबूत स्थापित करना है कि सम्पत्ति अवैध व्यापार से प्राप्त हुई थी या उसमें उसका उपयोग किया गया था,

(छ) किसी ऐसे व्यक्ति के सम्बंध में जिसे यह अध्याय लागू होता है, ''अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति'' से अभिप्रेत है–

(i) ऐसे व्यक्ति द्वारा इस अध्याय के प्रारम्भ के पूर्व या उसके पश्चात् अर्जित कोई सम्पत्ति, जो अवैध व्यापार से प्राप्त या अभिप्राप्त हुई है अथवा उससे हुई मानी जा सकने वाली किसी आय, उपार्जन या आस्तियों से या उनके द्वारा पूर्णतः या भागतः अर्जित की गई है, या

(ii) ऐसे व्यक्ति द्वारा इस अध्याय के प्रारम्भ के पूर्व या उसके पश्चात् अर्जित कोई सम्पत्ति जो उपखंड (i) में निर्दिष्ट किसी सम्पत्ति या ऐसी सम्पत्ति से हुई आय या उपार्जन से पूर्णतः या भागतः हुए माने गए किसी प्रतिफल के लिए या किसी भी साधन से अर्जित की गई है,

और इसके अन्तर्गत–

(अ) ऐसे व्यक्ति द्वारा धारित ऐसी कोई सम्पत्ति है जो, उसके किसी पूर्ववर्ती धारक के सम्बंध में, यदि ऐसा पूर्ववर्ती धारक उसे धारण करने से प्रविरत नहीं हो जाता तो, इस खंड के अधीन अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति होती, जब तक कि ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसा अन्य व्यक्ति, जिसने ऐसे पूर्ववर्ती धारक के पश्चात, या जहां दो या दो से अधिक ऐसे पूर्ववर्ती धारक हैं वहां ऐसे पूर्ववर्ती धारकों में से अन्तिम धारक के पश्चात् किसी समय सम्पत्ति धारित की थी, पर्याप्त प्रतिफल के लिए सद्भाविक अंतरिती न हो या था,

(आ) ऐसे व्यक्ति द्वारा इस अध्याय के प्रारम्भ के पूर्व या उसके पश्चात् अर्जित ऐसी कोई सम्पत्ति, जो मद (अ) के अन्तर्गत आने वाली किसी संम्पत्ति से या उससे हुई आय या उपार्जन से पूर्णतः या भागतः हुए माने गए किसी प्रतिफल के लिए या किसी भी साधन से अर्जित की गई है।

(ज) ''सम्पत्ति'' से अभिप्रेत है प्रत्येक विवरण की सम्पत्ति और आस्तियां चाहे वे जंगम या सीवर हों, मूर्त या अमूर्त हों और ऐसे विलेख और लिखत जिनमें अवैध व्यापार से प्राप्त या उनमें उपयोग की गई ऐसी सम्पत्ति या आस्तियों के हक या हित के बारे में साक्ष्य हो,

(झ) ''नातेदार से अभिप्रेत है–

(1) व्यक्ति का पति या पत्नी,

(2) व्यक्ति का भाई या बहन,

(3) व्यक्ति की पत्नी या पति का भाई या बहन,

(4) व्यक्ति का कोई पारंपरिक पूर्व पुरुष या वंशज,

(5) व्यक्ति की पत्नी या पति का कोई पारंपरिक पूर्व पुरुष या वंशज,

(6) उपखंड (2) उपखंड (3), उपखंड (4) या उपखंड (5) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति की पत्नी या पति, (7) उपखंड (2) या उपखंड (3) में निदिष्ट व्यक्ति का कोई पारंपरिक वंशज,

(ण) '' पता लगाना'' से सम्पत्ति की प्रकृति, स्रोत व्ययन, संचलन, हक या स्वामित्व का अविधारण करना अभिप्रेत है,

(ट) न्यास के अन्तर्गत कोई अन्य विधिक बाध्यता भी है।

68ग. अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति धारण करने का प्रतिशेध– (1) इस अध्याय के प्रारंभ से, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए, जिसे यह अध्याय लागू होता है, अवैध रूप से अर्जित किसी संपत्ति को स्वयं या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से धारण करना विधिपूर्ण नहीं होना।

(2) जहां कोई व्यक्ति अवैध रूप से अर्जित कोई सम्पत्ति उपधारा (1) के उपबंधों के उल्लंघन में आधारित करता है, वहां ऐसी सम्पत्ति इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार केन्द्रीय सरकार को समपहृत हो जाएगी,

परन्तु कोई भी सम्पत्ति इस आध्याय के अधीन उस दषा में समपहृत नहीं की जाएगी यदि ऐसी सम्पत्ति किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसको यह अधिनियम लागू होता है, उस तारीख से जिसको वह अवैध व्यापार के सम्बंध में किसी अपराध से आरोपित किया गया था, छह वर्ष की अवधि के पूर्व अर्जित की गई है।

68 घ. सक्षम प्राधिकारी– (1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, किसी सीमाशुल्क कलेक्टर या केन्द्रीय उत्पाद–शुल्क कलेक्टर या आय–कर आयुक्त या समतुल्य पंक्ति के केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य अधिकारी को इस अध्याय के अधीन समक्ष प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी।

(2) सक्षम प्राधिकारी ऐसे व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्गों की बाबत अपने कृत्यों का पालन करेंगे जो केन्द्रीय सरकार, आदेष द्वारा, निर्दिष्ट करें।

68 ड. अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति की पहचान करना– (1) धारा 53 के अधीन सशक्त प्रत्येक अधिकारी और किसी पुलिस थाने का प्रत्येक भारसाधक अधिकारी, ऐसी इत्तिला की प्राप्ति पर कि किसी ऐसे व्यक्ति पर, जिसको यह अध्याय लागू होता है, भारत में या भारत के बाहर किए गए इस अध्याय के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का आरोप लगाया गया है, ऐसे व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से अर्जित किसी सम्पत्ति का पता लगाने और उसकी पहचान करने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई करेगा।

(2) उपधारा (1) में निदिष्ट कोई जांच, अन्वेषण या सर्वेक्षण उपधारा (1) में उल्लिखित किसी अधिकारी द्वारा ऐसे निर्देषों या मार्गदर्शन के अनुसार किया जाएगा जो सक्षम प्राधिकारी इस निर्मित्त दे या जारी करे।

68च. अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति का अभिग्रहण या रोक लगाया जाना–(1) जहां धारा 68ड. के अधीन कोई जांच या अन्वेषण करने वाले किसी अधिकारी को यह विष्वास करने का कारण है कि कोई सम्पत्ति, जिसके सम्बंध में कोई ऐसी जांच या अन्वेषण किया जा रहा है, अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति है और ऐसी सम्पत्ति के छिपाये जाने, अन्तरित किए जाने या उसके सम्बंध में किसी ऐसी रीति से संव्यवहार किए जाने की सम्भावना है जिसके परिणामस्वरूप इस अध्याय के अधीन ऐसी सम्पत्ति के समपहरण के सम्बंध में कोई कार्यवाही विफल हो जाएगी वहा वह ऐसी सम्पत्ति का अभिग्रहण करने के लिए आदेश कर सकेगा और जहां ऐसी सम्पत्ति का अभिग्रहण किया जाना साध्य नहीं है, वहां वह यह आदेश कर सकेगा कि ऐसी सम्पत्ति ऐसा आदेश करने वाले अधिकारी या सक्षम प्राधिकारी को पूर्व अनुज्ञा के बिना अंतरित नहीं की जाएगी या उसके सम्बंध में अन्यथा संव्यवहार नहीं किया जाएगा और ऐसे आदेश की प्रति की संबंधित व्यक्ति को तामील की जाएगी।

परन्तु सक्षम प्राधिकारी को इस उपधारा के अधीन किए गए किसी आदेश की सम्यक् रूप से जानकारी दी जाएगी और ऐसे आदेश की प्रति आदेश किए जाने के अड़तालीस घण्टे के भीतर सक्षम प्राधिकारी को भेजा जाएगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन किए गए किसी आदेश का तब तक कोई प्रभाव नहीं होगा जब तक कि उक्त आदेश किए जाने के तीस दिन की अवधि के भीतर उसकी पुष्टि, सक्षम प्राधिकारी के किसी आदेश द्वारा नहीं कर दी जाती है।

स्पष्टीकरण– इस धारा के प्रयोजनों के लिए, ''सम्पत्ति का अन्तरण'' से अभिप्रेत है सम्पत्ति का व्ययन, हस्तांतरण, समनुदेषक, व्यवस्थापन, परिदान, संदाय या कोई अन्यसंक्रामण और पूर्वगामी की व्यापकता को परिसीमित किए बिना, इसके अतर्गत है–

(क) सम्पत्ति में किसी न्यास का सृजन,

(ख) सम्पत्ति में किसी पट्टा, बंधक, भार, सुखाचार, अनुज्ञप्ति, शक्ति, भागीदारी या हित की मंजूरी या सृजन,

(ग) किसी ऐसे व्यक्ति में, जो सम्पत्ति का स्वामी नहीं है, निहित सम्पत्ति के नियतन की शक्ति का, शक्ति के आदाता से भिन्न किसी व्यक्ति के पक्ष में उसके व्ययन के अवधारण के लिए प्रयोग, और

(घ) किसी व्यक्ति द्वारा इस आषय से किया गया कोई संव्यवहार जिससे उसकी अपनी संपत्ति के मूल्य को प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कम किया जा सके और किसी अन्य व्यक्ति की सम्पत्ति के मूल्य को बढ़ाया जा सके।

68छ. इस अध्याय के अधीन अभिगृहीत या समपहृत सम्पत्तियों का प्रबन्ध–(1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, किसी प्रशासक के कृत्यों का पालन करने के लिए अपने उतने अधिकारियों को (जो सरकार के संयुक्त सचिव की पक्ति से नीचे के न हों) नियुक्त कर सकेगी जो वह ठीक समझे।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्रषासक ऐसी सम्पत्ति को, जिसके सम्बंध में धारा 68च की उपधारा (1) या धारा 68झ के अधीन कोई आदेष किया गया है, ऐसी रीति से और ऐसी षर्तोंके अधीन रहते हुए, जो विहित की जाए, प्राप्त करेगा और उसका प्रबन्ध करेगा।

(3) प्रशासक ऐसी सम्पत्ति का, जो केन्द्रीय सरकार को समपहृत हो गई है, व्ययन करने के लिए ऐसे उपाय भी करेगा जो केन्द्रीय सरकार निर्दिष्ट करें।

68ज. सम्पत्ति के समपहरण की सूचना –(1) यदि, सक्षम प्राधिकारी के पास किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसको यह अध्याय लागू होता है, स्वयं अपने द्वारा या उसकी और से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जिसकी यह अध्याय लागू होता है, स्वयं अपने द्वारा या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति की मार्फत धारित सम्पत्तियों के मूल्य, उसकी आय, उपार्जन या आस्तियों के उसके ज्ञात स्रोत और धारा 68ड. के अधीन अन्वेषण करने वाले किसी अधिकारी की रिपोर्ट के परिणामस्वरूप या अन्यथा उसे उपलब्ध किसी अन्य जानकारी या सामग्री को ध्यान में रखते हुए, यह विष्वास करने का कारण है (ऐसे विश्वास के लिए जो कारण है वे लेखबद्ध किए जाएंगे) कि ऐसी सभी या कोई सम्पत्ति अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति है तो वह ऐसे व्यक्ति को (जिसे इसमें इसके पष्चात् प्रभावित व्यक्ति कहा गया है) सूचना की तामील यह अपेक्षा करते हुए कर सकेगा कि वह सूचना में विनिर्दिष्ट तीस दिन की अवधि के भीतर अपनी आय, उपार्जन या आस्तियों के ऐसे स्रोतों को, जिससे या जिनके द्वारा उसने ऐसी सम्पत्ति अर्जित की है, वह साक्ष्य जिस पर वह निर्भर करता है तथा अन्य सुसंगत जानकारी और विशिष्टियां उपदर्शित करे और यह हेतुक दर्शित करे कि ऐसी सभी या कोई सम्पत्ति क्यों न अवैध रूप से अर्जित की गई सम्पत्ति घोषित की जाए और इस अध्याय के अधीन केन्द्रीय सरकार को समपहृत की जाए।

(2) जहां किसी व्यक्ति को उपधारा (1) के अधीन दी गई सूचना में किसी सम्पत्ति के बारे में यह विनिर्दिष्ट किया जाता है कि वह किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसे व्यक्ति की ओर से धारित है वहां सूचना की प्रति ऐसे अन्य व्यक्ति को भी तामील की जाएगी।

68झ. कुछ दशाओं में सम्पत्ति का समपहरण–(1) सक्षम प्राधिकारी, धारा 68ज के अधीन हेतुक दर्शित करने के लिए जारी की गई सूचना के सम्बंध में दिए गए स्पष्टीकरण पर, यदि कोई हो, और अपने समक्ष उपलब्ध सामग्री पर, विचार करने के पश्चात् तथा प्रभावित व्यक्ति को (और किसी ऐसी देषा में जहां प्रभावित व्यक्ति सूचना में विनिर्दिष्ट कोई सम्पत्ति किसी अन्य व्यक्ति की मार्फत धारण करता है वहां ऐसे अन्य व्यक्ति को भी) सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात् आदेश द्वारा, यह

निष्कर्ष अभिलिखित कर सकेगा कि क्या प्रष्नगत सभी या कोई सम्पत्ति अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति हैः

परन्तु यदि प्रभावित व्यक्ति (और किसी ऐसी दशा में जहां प्रभावित व्यक्ति सूचना में विनिदिष्ट कोई सम्पत्ति किसी अन्य व्यक्ति की मार्फत धारण करता है) वहां ऐसा अन्य व्यक्ति भी हेतुक दर्शित करने के लिए सूचना में विनिर्दिष्ट तीस दिन की अवधि के भीतर सक्षम प्राधिकारी के समक्ष हाजिर नहीं होता है या उसके समक्ष अपना मामला व्यपदिष्ट नहीं करता है तो सक्षम प्राधिकारी, अपने समक्ष उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर, इस उपधारा के अधीन एकपक्षीय निष्कर्ष अभिलिखित कर सकेगा।

(2) जहां सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि हेतुक दर्षित करने के लिए सूचना में निर्दिष्ट कुछ सम्पत्तियां अवैध रूप से अर्जित सम्पत्तियां है किन्तु वह ऐसी सम्पत्ति को विनिदिष्ट पहचान करने में समथ नहीं है वहां सक्षम प्राधिकारी के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह ऐसी सम्पत्तियों को विनिर्दिष्ट करे जो उसकी सर्वोत्तम विवके बुद्धि के अनुसार अवैध रूप से अर्जित सम्पत्तियां है और तदनुसार उपधारा (1) के अधीन निष्कर्ष अभिलिखित करे।

(3) जहां सक्षम प्राधिकारी, इस धारा के अधीन इस आशय का निष्कर्ष अभिलिखित करता है कि कोई सम्पत्ति अवैध रू॰ से अर्जित की गई सम्पत्ति है, वहां वह घोषित करेगा कि ऐसी सम्पत्ति इस अध्याय के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सभी बिल्लंगमों से मुक्त, केन्द्रीय सरकार को समपहृत हो जाएगी।

(4) जहां किसी कम्पनी के शेयर, इस अध्याय के अधीन केन्द्रीय सरकार को समपहृत हो जाते हैं, वहां कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में या कम्पनी के संगम अनुच्छेदों में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार को ऐसे शेयरों के अंतरिती के रूप में तत्काल रजिस्टर करेगी।

68ज. सबूत का भार– इस अध्याय के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों में, यह साबित करने का भार कि धारा 68ज के अधीन तामील की गई सूचना में विनिर्दिष्ट कोई सम्पत्ति अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति नहीं है प्रभावित व्यक्ति पर होगा।

68ट. समपहरण के बदले में जुर्माना (1) जहां सक्षम प्राधिकारी यह घोषणा करता है कि कोई सम्पत्ति धारा 68झ के अधीन केन्द्रीय सरकार को समपहृत हो गई है और वह ऐसा मामला है जिसमें अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति के केवल किसी भाग का स्रोत ही सक्षम प्राधिकारी के समाधानप्रद रूप में साबित नहीं किया गया है, वहां वह किसी प्रभावित व्यक्ति को समपहरण के बदले में ऐसे भाग के बाजार मूल्य के बराबर जुर्माने का संदाय करने का विकल्प देते हुए आदश करेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन जुर्माना अधिरोपित करने का आदेश करने के पूर्व प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा।

(3) जहां प्रभावित व्यक्ति, उपधारा (1) के अधीन देय जुर्माने का, ऐसे समय के भीरत जो उस निर्मित्त अनुज्ञात किया जाए, सदाय करता है, सक्षम प्राधिकारी, आदेश द्वारा, धारा 68झ के अधीन समपहरण की घोषणा को प्रतिसंहृत कर सकेगा और तब ऐसी सम्पत्ति निर्मुक्त हो जाएगी।

68ठ. कुछ न्याय सम्पत्तियों के सम्बंध में प्रकिया– धारा 68ख के खंड (ख) के उपखण्ड (iv) में निदिष्ट किसी व्यक्ति की दशा में, यदि सक्षम प्राधिकारी के पास, उसे उपलब्ध जानकारी और सामग्रियों के आधार पर यह विश्वास करने का कारण है (ऐसे विश्वास के लिए जो कारण हैं उनहें लेखबद्ध किया जाएगा) कि न्याय के रूप में धारित कोई सम्पत्ति अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति है, तो वह, यथास्थिति, न्यायकर्ता को या ऐसी आस्तियों के ऐसे अभिदाता को जिनसे या जिनके द्वारा ऐसी सम्पत्ति का अर्जन न्यास और न्यासियों के ऐसे अभिदाता को जिनसे या जिनके द्वारा ऐसी सम्पत्ति का अर्जन न्याय और न्यासियों द्वारा किया गया था, सूचना की तामील यह अपेक्षा करते हुए कर सकेगा कि वह सूचना में विनिर्दिष्ट तीस दिन की अवधि के भीतर, धन या अन्य आस्तियों के ऐसे स्रोत जिनका ऐसी सम्पत्ति को अर्जित करने के लिए न्यास को अभिदान किया गया था, के बारे में स्पष्टीकरण दे और तब ऐसी सूचना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह धारा 68ज के अधीन तामील की गई सूचना है और इस अध्याय के अन्य सभी उपबन्ध तदनुसार लागू होंगे।

स्पष्टीकरण– इस धारा के प्रयोजन के लिए, न्यास के रूप में धारित किसी सम्पत्ति के सम्बंध में, ''अवैध रूप से अजित सम्पत्ति'' के अन्तर्गत निम्नलिखित है, अर्थात्:–

(i) कोई सम्पत्ति जो यदि वह न्यासकर्त्ता या न्याय को ऐसी सम्पत्ति के अभिदायकर्त्ता द्वारा न्याय के रूप में धारित रहती, तो वह ऐसे न्यासकर्त्ता या अभिदायकर्त्ता के सम्बंध में अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति होती,

(ii) किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अभिदायों से न्याय द्वारा अर्जित कोई सम्पत्ति जो ऐसे ने ऐसी व्यक्ति के सम्बंध में अवैध रूप से अर्जित की गई सम्पत्ति होती, यदि ऐसे व्यक्ति ने ऐसी सम्पत्ति को ऐसे अभिदायों से अर्जित किया होता।

68 ड. कुछ अन्तरणों का अकत और षून्य होना–जहां धारा 68च की उपधारा (1) के अधीन कोई आदेष करने या धारा 68 ज या धारा 68ठ के अधीन सूचना जारी करने के पश्चात् उक्त आदेश या सूचना में निर्दिष्ट किसी सम्पत्ति का अन्तरण किसी भी ढंग से किया गया है, वहां ऐसे अंतरण पर, इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के प्रयोजनों के लिए ध्यान नहीं दिया जाएगा और यदि उसके बाद ऐसी सम्पत्ति धारा 68झ के अधीन केन्द्रीय सरकार को समपहृत हो जाती है तो ऐसी सम्पत्ति का अन्तरण अकृत और शून्य समझा जाएगा।

68ढ. अपील अधिकरण का गठन–(1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, धारा 68च, धारा 68झ, धारा 68ट की उपधारा (1) या धारा 68ठ के अधीन किए गए आदेशों के विरूद्ध अपीलों की सुनवाई के लिए एक अपील अधिकरण गठित करेगी जो समपहृत संपत्ति अपील अधिकरण कहलाएगा। उसमें एक अध्यक्ष और उतने सदस्य (जो केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी होंगे जो सरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे के न हों), जो केन्द्रीय सरकार ठीक समझे, होंगे, जिनकी नियुक्ति उस सरकार द्वारा की जाएगी।

(2) अपील अधिकरण का अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होगा जो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है या उसके लिए अर्हित है।

(3) अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा के निर्बधन और शर्तें वे होंगी जो विहित की जाएं।

68ण. अपील–(1) धारा 68च, धारा 68झ, धारा 68ट की उपधारा (1) या धारा 68ठ के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किए गए आदेष से व्यथित कोई व्यक्ति, उस तारीख से जिसको आदेष उसे तामील की जाती है, पैंतालीस दिन के भीतर अपील अधिकरण को अपील कर सकेगा:

परन्तु अपील अधिकरण, पूर्वोक्त तारीख से उक्त पैंतालीस दिन की अवधि के पश्चात् किन्तु साठ दिन के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकेगा यदि उसका समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय से अपील फाइल न किए जाने के लिए पर्याप्त हेतुक से निवारित हुआ था।

(2) उपधारा (1) के अधीन अपील की प्राप्ति पर, अपील अधिकरण, अपीलार्थी की सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् यदि वह ऐसी इच्छा करता है, और ऐसी अतिरिक्त जांच करने के पष्चात् जो वह ठीक समझे, ऐसे आदेश को, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, पुष्ट, उपांतरित या अपास्त कर सकेगा:

(3) अपील अधिकरण की षक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन अपील अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा गठित और तीन सदस्यों वाले न्यायपीठों द्वारा किया जा सकेगा।

(4) उपधारा (3) में किसी बात के होते हुए भी, जहां अध्यक्ष इस धारा के अधीन अपीलों को शीघ्र निपटाने के लिए ऐसा करना आवष्यक समझा है वहां वह दो सदस्यों का न्यायपीठ गठित कर सकेगा और इस प्रकार गठित न्यायपीठ अपील अधिकरण की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्बहन कर सकेगा:

परन्तु यदि इस प्रकार गठित न्यायपीठ के सदस्यों में किसी मुद्दे पर मतभेद है तो वे उस मुद्दे या उन मुद्दों का उल्लेख करेंगे जिन पर उनमें मतभेद है और उसे या उन्हें, ऐसे मुद्दे या मुद्दों की सुनवाई के लिए (अध्यक्ष द्वारा विनिदिष्ट) एक तीसरे सदस्य को निर्देशित करेंगे और ऐसे मुद्दा या ऐसे मुद्दे उस सदस्य की राय के अनुसार विनिश्चित किया जाएगा या किए जाएंगे।

(5) अपील अधिकरण अपनी प्रकिया को स्वयं विनियमित कर सकेगा।

(6) अपील अधिकरण को आवेदन करने पर और विहित फीस का संदाय करने पर अधिकरण किसी अपील पक्षकार को या ऐसे पक्षकार द्वारा उसकी ओर से प्राधिकृत किसी व्यक्ति को कार्यालय के समय के दौरान किसी भी समय, अधिकरण के सुसंगत अभिलेखों और रजिस्टरों का निरीक्षण करने के लिए और उनके किसी भाग की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा।

68त. वर्णन में गलती के कारण सूचना या आदेश का अविधिमान्य न होना– इस अध्याय के अधीन जारी की गई या तामील की गई कोई सूचना, की गई कोई घोषणा और पारित कोई आदेश उसमें उल्लिखित सम्पत्ति या व्यक्ति के वर्णन में किसी गलती के कारण अविधिमान्य नहीं समझा जाएगा, यदि ऐसी सम्पत्ति या व्यक्ति इस प्रकार उल्लिखित वर्णन से पहचाना जा सकता है।

68थ. अधिकारिता का वर्जन– इस अध्याय के अधीन पारित कोई आदेश या की गई कोई घोषणा उसमें उपबन्धित के सिवाय अपीलीय नहीं होगी और किसी भी सिविल न्यायालय को किसी ऐसे मामले के सम्बंध में, जिसे अपील अधिकरण या कोई सक्षम प्राधिकारी इस अध्याय द्वारा या उसके अधीन अवधारित करने के लिए सशक्त है, अधिकारिता नहीं होगी, और किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी द्वारा कोई व्यादेश इस अध्याय द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के अनुसरण में की गई या की जाने वाली किसी कार्रवाई के बारे में मंजूर नहीं किया जाएगा।

68 द. सक्षम प्राधिकारी और अपील अधिकरण के पास सिविल न्यायालय की शक्तियां होना–सक्षम प्राधिकारी ओर अपील अधिकरण को निम्नलिखित मामलों के बारे में, सिविल प्रकिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय, सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होगी, अर्थात्:–

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और उसको हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना,,

(ख) दस्तावेजों के प्रकटीकरण तथा पेश किए जाने की अपेक्षा करना,

(ग) शपथ–पत्र पर साक्ष्य लेना,

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि की अध्यपेक्षा करना,

(ड.) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना,

(च) अन्य कोई विषय, जो विहित किया जाए।

68ध. सक्षम प्राधिकारी, को जानकारी देना– (1) किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, सक्षम प्राधिकारी को केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण के किसी अधिकारी से ऐसे व्यक्तियों, मुद्दों या विषयों के बारे में जो सक्षम प्राधिकारी की राय में इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए उपयोगी या सुसंगत होंगे, जानकारी देने की अपेक्षा करने की शक्ति होगी।

(2) धारा 68न में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति, स्वप्रेरणा से, ऐसी कोई जानकारी जो उसके पास उपलब्ध हो, सक्षम प्राधिकारी को दे सकेगा यदि उस अधिकारी की राय में ऐसी जानकारी इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए उस सक्षम प्राधिकारी के लिए उपयोगी होगी।

68न. कतिपय अधिकारियों का प्रशासक, सक्षम प्राधिकारी और अपील प्राधिकरण को सहायता करना– इस अध्याय के अधीन किसी कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित अधिकारी धारा 68छ के अधीन नियुक्त प्रषासन, सक्षम प्राधिकारी और अपील अधिकरण की सहायता करने के लिए सषक्त किए जाते हैं और उनसे अपेक्षा की जाती है, अर्थात्:–

(क) स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के अधिकारी,

(ख) सीमाशुल्क विभाग के अधिकारी,

(ग) केन्द्रीय उत्पाद–शुल्क विभाग के अधिकारी,

(घ) आय–कर विभाग के अधिकारी,

(ङ.) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (1973 का 46) के अधीन नियुक्त प्रवर्तन अधिकारी,

(च) पुलिस के अधिकारी,

(छ) स्वापक विभाग के अधिकारी,

(ज) केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो के अधिकारी,

(झ) राजस्व आसूचना निदेशालय के अधिकारी,

(ञ) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के ऐसे अन्य अधिकारी जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित विनिर्दिष्ट करें।

68प. कब्जे में लेने की शक्ति–(1) जहां कोई सम्पत्ति इस अध्याय के अधीन केन्द्रीय सरकार को समपहृत घोषित कर दी गई है या जहां कोई प्रभावित व्यक्ति धारा 68ट की उपधारा (3) के अधीन उसके लिए अनुज्ञात समय के भीतर उस धारा की उपधारा (1) के अधीन देय जुर्माने का संदाय करने में असफल हो गया है, वहां सक्षम प्राधिकारी प्रभावित व्यक्ति को तथा ऐसे किसी अन्य व्यक्ति को, जिसके कब्जे में संपत्ति हो, धारा 68छ के अधीन नियुक्त प्रषासक को या उसके द्वारा इस निर्मित सम्यक्तः प्राधिकृत किसी व्यक्ति को आदेश की तामील के तीस दिन के भीतर, संपत्ति का अभ्यर्पण करने या कब्जा देने का आदेश कर सकेगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1)के अधीन किए गए आदेश का पालन करने से इंकार करता है या पालन करने में असफल हो जाता है तो प्रशासक संपत्ति का कब्जा ले सकेगा और उस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का, जो आवश्यक हो, प्रयोग कर सकेगा।

(3) उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, प्रशासक, उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी संपत्ति का कब्जा लेने के प्रयोजन के लिए, अपनी सहायता के लिए किसी पुलिस अधिकारी की सेवा अध्यपेक्षा कर सकेगा और ऐसे अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसी अध्यपेक्षा का पालन करें।

68फ. भूलों की परिशुद्धि–अभिलेख से प्रकट किन्हीं भूलों की परिशुद्धि करने के लिए यथास्थिति, सक्षम प्राधिकारी या अपील अधिकरण उसके द्वारा किए गए किसी आदेष को उस आदेष की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर संशोधित कर सकेगा।

परन्तु यदि किसी संशोधन से किसी व्यक्ति कर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है तो वह संशोधन ऐसे व्यक्ति की सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना नहीं किया जाएगा।

68ब. अन्य विधियों के अधीन निकाले गए निष्कर्षों का इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के लिए निश्चायक न होना–किसी अन्य विधि के अधीन किसी अधिकारी या प्राधिकारी का कोई निष्कर्ष इस अध्याय के अधीन किसी कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए निश्चायक नहीं होगा।

68 भ. सूचनाओं और आदेशों की तालीम–इस अध्याय के अधीन जारी की गई किसी सूचना या किए गए किसी आदेश की तामील निम्नलिखित रूप में की जाएगीः–

(क) उस व्यक्ति को जिसके लिए सूचना या आदेश आशयित है या उसके अभिकर्ता को सूचना या आदश निविदत्त करके या रजिस्ट्रीकृत डाक भेजकर,

(ख) यदि सूचना या आदेश की तामील खंड (क) में उपबंधित रीति से नहीं की जा सकती है तो उस संपत्ति के, जिसके संबंध में सूचना जारी की गई है या आदेश किया गया है, सहदृश्य स्थान पर या उस परिसर के, जिसमें वह व्यक्ति, जिसके लिए वह आषयित है, जिसके बारे में ज्ञात है कि वह अंतिम रूप से रहा है या कारबार किया है या लाभ के लिए व्यक्तिगत रूप से काम किया है, किसी सहजदश्य भाग पर चिपका कर।

68 म. उस सम्पत्ति का, जिसके बारे में इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियां की गई हैं, अर्जन करने के लिए दण्ड–ऐसा व्यक्ति जिसने किसी भी रीति से ऐसी कोई संपत्ति, जिसके बारे में इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियां लंबित हैं, जानबूझकर अर्जित की है, कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो पचास हजार रुप्ए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा]